मंगलवार,
२० अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

मंगलवार २० अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इंडोनीशिया के नज़रबन्दों का प्रत्यावर्तन

*१९०९. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इन्डोनीशिया की सरकार ने नीदरलैण्ड्स ईस्ट इंडीज़ से आये हुए नज़रबन्द व्यक्तियों के पालन पोषण और उनके प्रत्यावर्तन के लिये जो १०,७४,५३१ रुपये मांगे गये हैं उसके संबंध में अपनी प्रतिक्रिया भेजी है; तथा

(ख) इस दावे के संबंध में कोई राशि प्राप्त हुई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां, इन्डोनीशिया की सरकार ने कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया है।

(क) जी नहीं; परन्तु नीदरलैण्ड की सरकार बकाया धनराशि देने को तैयार हो गई है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या जितनी राशि का दावा किया गया था उस सब के लिये समझौता हो गया है या उसमें कोई कमी की गई है ?

श्री दातार : वे नीदरलैण्ड सरकार से प्राप्य बकाया राशि देने को तैयार हो गये हैं ?

सरदार हुक्म सिंह : और कौन सी राशियां बकाया हैं और नज़रबन्दों के पालन पोषण और उनके प्रत्यावर्तन के लिये किन किन देशों को भारत को धन देना है?

श्री दातार : कुछ दिन पूर्व मैं इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर इसी सदन में दे चुका हूं। हांगकांग, ब्रिटेन और नीदरलैण्डस से राशियां प्राप्त होनी हैं; प्रत्यावर्तन व्यय के संबंध में ऐसी राशियां ब्रह्मा, लंका, हांगकांग और ब्रिटेन से प्राप्त होनी हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन राशियों के संबंध में इन देशों के साथ समझौता हो गया है या उनकी मात्रा के संबंध में कोई विवाद है ?

श्री दातार : मात्रा के संबंध में कोई विवाद नहीं है। राशियां तय हो गई हैं और कुछ दी भी जा चुकी हैं।

भ्रष्टाचार के मामले

*१९१०. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या गृह-कार्य मंत्री दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उन मामलों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिनमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रिश्वत देने या उन के द्वारा रिश्वत लिये जाने अथवा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के नवीनतम संशोधनों के लागू होने के बाद से इन अपराधों में सहयोग देने के आरोप पर मुकदमें चलाये ये और दण्ड दिया गया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में १२ अगस्त, १९५२ से ३१ दिसम्बर १९५३ तक की अवधि में वहां की विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रिश्वत देने या उनके द्वारा रिश्वत लिये जाने के जो मामले चलाये गये उनकी संख्या इस प्रकार है :

	चलाये गये मुकदमें	जिन मामलों में दण्ड दिया गया
दिल्ली	८	२
उत्तर प्रदेश	३७	२

श्री झूलन सिन्हा : उन दो मामलों का क्या हुआ जिन में सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने का प्रयत्न किया गया था ?

श्री दातार : इन मामलों में मुकदमें चलाये गये हैं ; अन्य मामले अभी अनिर्णीत हैं और उनका निबटारा नहीं हुआ है ।

श्री झूलन सिन्हा : रिश्वत देने के प्रस्तावों को दण्डित करने वाले इन उपबंधों का देहातों में रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री दातार : इनका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : उन लोगों के मामलों में जिन्हे दण्ड नहीं दिया गया है परन्तु जिनके संबंध में विभाग यह समझता है कि अधिकारियों ने अपराध किया है क्या कोई विभागीय कार्यवाही की गई थी ?

श्री दातार : जब भी कभी जांच पड़ताल होती है, और यदि यह पाया जाता है कि न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है, तो मुकदमा चलाया जाता है । उदाहरणार्थ यदि किसी मामले में यह पाया जाये कि न्यायालय में कोई अपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके अधीन विभगीय कार्यवाही की जा सकती है, तो सरकार वही उपाय अपनाती है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : इसका क्या कारण है कि केवल थोड़े ही से मुकदमों में सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री दातार : केवल कुछ ही मुकदमों की सफलता का प्रश्न नहीं है । मैंने जो आंकड़े दिये हैं, उनका सम्बन्ध केवल उन मामलों से है, जिनमें वस्तुतः दण्ड दिये गये हैं । बहुत से मामले अभी अनिर्णीत हैं । जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, आठ में से छै मामले अभी अनिर्णीत हैं । जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, ३८ में से ३२ मामले अभी तक अनिर्णीत हैं ।

केन्द्रीय अंगुलांक विभाग

*१९१२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि क्या गुप्तचर विभाग के अधीन प्रस्तावित केन्द्रीय अंगुलांक विभाग एवं केन्द्रीय न्यायिक प्रयोगशाला की स्थापना हो गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जी नहीं। एक केन्द्रीय अंगुलांक विभाग को आरंभ करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; केन्द्रीय न्यायिक प्रयोगशाला सम्बन्धी प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार ने इस विभाग को खोलने के लिये कोई स्थान निश्चित किया है ?

श्री दातार : पहले अंगुलांक विभाग शिमला में था। अपने प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय सरकार उसको खोलने के लिये उपयुक्त स्थानों पर भी विचार करेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या स्थापित हो जाने पर अंगुलांक विभाग को कोई स्वतंत्र कार्य भी दिये जायेंगे ?

श्री दातार : पहले जब यह विभाग था, तब इसके पास बहुत से कार्य थे। उन पर फिर से विचार किया जायेगा और राज्य सरकारें भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं इसका गुप्तचर विभाग से सम्बन्ध जानना चाहता था।

श्री दातार : यह विभाग और गुप्तचर विभाग, दोनों ही गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन होंगे ।

मैसूर की अनुसूचित आदिम जातियां

*१९१३. **श्री एन० राचय्या** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन सी योजनाएं हैं, जिन पर अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याणार्थ मैसूर राज्य को केन्द्र द्वारा १९५३–५४ में दी गई राशि व्यय की गई थी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : वह राशि राज्य सरकार द्वारा (१) रिहायशी बस्तियों के निर्माण, (२) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं, तथा (३) सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं पर व्यय की गई थी।

श्री एन० राचय्या : ३१ मार्च, १९५३ तक कितनी राशि व्यय हुई ?

श्री दातार : १९५३ में हमने एक लाख रुपये दिये थे, और तब मैसूर सरकार ने हमें सूचित किया कि अनुमानित व्यय ८८,००० रुपये है और यह कि हमें उसका आधा भाग देना है। हम उसे ४४,००० रुपये दे चुके हैं।

श्री एन० राचय्या : क्या मैसूर राज्य की पहाड़ी आदिम जातियों के लिये कोई बस्तियां अवश्य बनाई गई होंगी ?

श्री दातार : मुझे पता नहीं, परन्तु बस्तियां बनाई गई हैं ?

श्री एन० राचय्या : क्या पहाड़ी आदिम जातियों के विद्यार्थियों की छात्रावास संबंधी सुविधाओं के लिये कोई राशि दी गई है ?

श्री दातार : मैं उन तीन शीर्षों की चर्चा कर चुका हूं जिनके अधीन राशि मंजूर की गई है और राज्य को दी गई है। हमें राज्य से विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

गोला बारूद का निर्माण

*१९१५. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रक्षा संबंधी अपेक्षाओं को पूर्ण

रूपेण पूरा करने के लिये आजकल देश में गोला बारूद का निर्माण हो रहा है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : युद्ध सामग्री कारखानों में बहुत सी प्रकार के गोला बारूद का निर्माण हो रहा है। फिलहाल जो अन्य किस्में आयात की जा रही है। उनका निर्माण आरंभ किया जा रहा है। अन्य नई मदों के निर्माण का कार्य तब आरंभ किया जायेगा जब और जैसे ही सुविधायें उपलब्ध होंगी। गोला बारूद सहित सैनिक सामान के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर होने के लिये सतत प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री आर० एन० सिंह : क्या माननीय मंत्री जी इस स्थिति में हैं कि आपत्ति काल में वह इन एम्यूनीशन से, इन हथियारों से, अपनी रक्षा करा सकेंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : आपत्ति काल में हर तरह से मुकाबला किया जाता है। आज कल बाज़ मुल्क आपत्ति काल का हाइड्रोजन बम से मुकाबला करते हैं, वह हम नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि किसी क़दर हम कर सकेंगे। अगर एक बम से आपत्ति आयेगी तो नहीं कर सकेंगे, और बातों से करेंगे। और कोशिश करते हैं कि जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं, करें।

श्री मेघनाद साहा : क्या इस देश में गोला बारूद के निर्माण के लिये कच्चा माल उपलब्ध है या उसे विदेशों से खरीदना पड़ता है ?

श्री सतीश चन्द्र : आजकल जो गोला बारूद बनाया जा रहा है, उसके निर्माण के लिये अधिकांश कच्चे माल इस देश में उपलब्ध हैं। कुछ नई मदों का विकास, बहुत हद तक अनेक अन्य प्रकार के पदार्थों के विकास पर निर्भर है।

श्री साधन गुप्त : क्या सरकार के पास किसी निश्चित तिथि के भीतर गोला बारूद के संबंध में आत्मनिर्भर होने की कोई योजना है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस प्रश्न के मूल उत्तर में यह कहा गया था कि हम यथासंभव शीघ्र आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या माननीय सदस्य कोई निश्चित तिथि रखना चाहते हैं। यदि हां, तो इन सब चीजों के लिये कोई निश्चित तथि निर्धारित करना कठिन है।

संश्लेषित पट्रोल

*१९१६. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **प्राकृतिक संसाधान तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व कोयले से संश्लेशित पैट्रोल के उत्पादन के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की उपपत्तियां क्या हैं ;

(ग) उस प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ; तथा

(घ) क्या भारत के किसी भी विद्यमान कोक संयंत्र द्वारा संश्लेषित पैट्रोल का उत्पादन किया जा रहा है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उस समिति ने सिफारिश की कि (१) पर्याप्त भाण्डार सामर्थ्य वाला एक शोध संयंत्र तत्काल स्थापित किया जाये, और (२) एक दीर्घकालीन उपाय के रूप में संश्लेषित पेट्रोल संयंत्र की योजना बनाई जाये और उसकी स्थापना की जाये।

(ग) तीन तेल साफ करने के कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं (दो पश्चिमी तट पर और एक पर्वी तट पर)। दूसरी सिफ़ारिश विचाराधीन है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

श्री पी० सी० बोस : क्या सरकार को संश्लेषित पैट्रोल और प्राकृतिक पैट्रोल की तुलनात्मक लागत का पता है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी, नहीं, किन्तु लागत उस संयंत्र के आकार पर निर्भर है जो योजनाओं के पक्ष में विचार किये जाने के पश्चात अन्ततः लगाया जायेगा।

श्री पी० सी० बोस : क्या मैं भारत में कोक संयंत्रों में उत्पादित किये जाने वाले संश्लेषित पैट्रोल का उत्पादन मूल्य जान सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं इस प्रश्न का उत्तर नही दे सकता हूं।

श्री एस० वी० रामस्वामी : दक्षिण अरकोट, मदास में पाये जाने वाले लिग-नाइट से संश्लेषित पैट्रोल निकालने का क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय पुरालेख-संग्रह

*१९१८. **डा० सत्यवादी :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि स्वयं शिक्षा विभाग और विभिन्न मंत्रालय, नई दिल्ली राष्ट्रीय पुरालेख-संग्रह के लेख-संग्रह से विद्वानों द्वारा लिये गये उद्धृत भागों को देने में बहुत देर लगाते हैं ?

(ख) उद्धृत भागों की पड़ताल कौन करता है और किन आधार पर पत्र रोक लिये जाते हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) प्रत्येक मामले में समय में भिन्न होता है। किन्तु प्रत्येक मामले में यथासंभव शीघ्रता से कार्यवाही की जाती है।

(ख) प्रारम्भिक जांच, भारत के राष्ट्रीय पुरालेख-संग्रह द्वारा की जाती है। कई मामलों में, इस के पश्चात सम्बद्ध मंत्रालय भी जांच करते हैं। जो अवतरण, लोक-हित में हानि कारक हो सकते हैं, अथवा जो विवाद उत्पन्न कर सकते है, उन्हें, जहां अनिवार्य समझा जाता है, रोक लिया जाता है।

डा० सत्यवादी : क्या यह बात ठीक है कि कई बार स्कालर्स को इस काम के लिये डेढ़ दो साल तक इन्तजार करना पड़ता है ?

डा० एम० एम० दास : जिस प्रकार के मामले का माननीय सदस्य ने वर्णन किया है वेसे किसी मामले की सूचना हमारे पास नहीं आई है, परन्तु ऐसे कारण हैं, जिन में देरी हो सकती है।

डा० सत्यवादी : क्या यह बात ठीक है कि पहले रिसर्च स्कालर्स को अपने घर पर किताबों को स्टडी करने और कलकत्ते से भी किताबें मंगवा देने की सुविधा मिली हुई थी, मौजूदा डाइरेक्टर ने उस को वापिस ले लिया है ?

डा० एम० एम० दास : इस प्रश्न से दो पुस्तकालयों का सम्बन्ध है : एक भारत का राष्ट्रीय पुरालेख-संग्रह पुस्तकालय है, जो गवेषणा पुस्तकालय है और पुस्तकें देने वाला पुस्तकालय नहीं हैं, और दूसरा राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता है। जहां तक भारत के राष्ट्रीय पुरालेख-संग्रह पुस्तकालय का सम्बन्ध है, विद्वानों को

दी गई सुविधायें कुछ मान्य कारणों से वापस ले ली गई हैं। जहां तक राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता का सम्बन्ध है, वहां एक उपबन्ध है, जिस के द्वारा विद्वान व्यक्ति सीधे ही उस पुस्तकालय से पुस्तकें उधार ले सकते हैं।

श्री नवल प्रभाकर: क्या मैं जान सकता हूं कि इन रिसर्च स्कालर्स को सरकार की ओर से क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

डा० एम० एम० दास: भारत के राष्ट्रीय पुरालेख-संग्रह में विद्वानों को प्रत्येक संभव सुविधायें प्रदान की जाती हैं। हाल में हम ने विद्वानों द्वारा किये जाने वाले गवेषणा कार्य को सुविधायें देने, तथा लाभ और हानियों की जांच करने के निमित्त एक गवेषणा अधिकारी नियुक्त किया है।

वैज्ञानिक एवं टैक्निकल प्रशिक्षण के लिये वृत्तियां

*१९२०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में वैज्ञानिक एवं टैक्निकल विषयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के निमित्त कितनी वृतियां दी गई हैं ?

(ख) ऐसी वृत्तियों की लागत में हिस्सा लेने के लिये कितने उद्योगों ने सहयोग दिया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) एक सौ अस्सी।

(ख) २९ उद्योगों ने वृत्तियों की लागत में हाथ बंटाना स्वीकार किया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: २९ उद्योगों के सहयोग देने के परिणाम स्वरूप कितनी और अधिक वृत्तियां नहीं मिल सकेंगी ?

डा० एम० एम० दास: सरकार का यह प्रस्ताव है कि इन बृत्तियों की लागत में हाथ बंटाने के लिये इन औद्योगिक प्रस्थापनाओं को आमंत्रित किया जाये। इसलिये इन औद्योगिक प्रस्थापनाओं के भाग लेने के कारण छात्रवृतियों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: शिक्षा मंत्रालय द्वारा हमें दी गई पुस्तिका में, ऐसी लिखा हुआ था कि धन की कमी थी, और इसलिये उपलब्ध वृत्तियों की संख्या को बढ़ाने के निमित्त, औद्योगिक प्रस्थापनाओं से आवश्यक अपील की गई हैं। इस दृष्टिकोण से, क्या हमें ऐसा समझना चाहिये कि इन २९ संस्थाओं के सहयोग देने के अनपेक्ष भी वृत्तियों की संख्या म कोई विशेष वृद्धि नहीं होगी ?

डा० एम० एम० दास: औद्योगिक प्रस्थापनाओं से धनाभाव के कारण अपील नहीं की गई थी, किन्तु, क्योंकि अनुभव के आधार पर यह बात वांच्छनीय समझी गई कि औद्योगिक प्रस्थापनाओं को योजना में भाग लेना चाहिये, ताकि प्रशिक्षणार्थियों को अधिक प्रभावकारी सुविधायें दी जा सकें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: उन्होंने अपनी पुस्तक ही नहीं पढ़ी है। १९५३–५४ में कितने व्यक्तियों ने टैक्नोलौजिकल और इंजीनियरिंग संस्थाओं से डिग्री प्राप्त की है और कितने व्यक्तियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये वृतियां मिली हैं ?

डा० एम० एम० दास: मेरे पास उन प्रशिक्षणार्थियों के आंकड़े हैं, जिन

को वृत्तियां मिली हैं, किन्तु मेरे पास उन के आंकडे नहीं हैं, जिन्होंने इन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त की है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि स्नातकों की कुल संख्या के १० प्रतिशत से अधिक को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये वृत्तियां नहीं मिलती हैं ?

डा० एम० एम० दास : हो सकता है ।

डा० रामा राव : इन वृत्तियों में से कितनी वृत्तियां प्रमुख और बड़े उद्योगों के लिये दी गई हैं ?

डा० एम० एम० दास : इस समय आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं ।

खजाने में रुपये का भुगतान करने का नया ढंग

***१९२३. श्री गिडवानी** (क) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नवम्बर १९५३ से सरकार ने खजाने में रुपयों का भुगतान करने का एक नया ठंग निकाला है ?

(ख) क्या यह सच है कि इस नई पद्धति के लागू किये जाने के पश्चात् से विलम्ब की बहुत सी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाई की है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). कुछ प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के कारण उत्पन्न होने वाले विलम्ब के विषय में शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई गईं थीं, और उपचारात्मक उपाय पहले ही किये जा चुके हैं ।

श्री गिडवानी : वे उपाय क्या हैं ?

श्री बी० आर० भगत : मुख्यतया शिकायतें दो थीं—एक जनता की कि नई पद्धति के अधीन उन्हें रिज़र्व बैंक में लम्बी कतारों में प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और दूसरी शिकायत अनुसूचित बैंकों की ओर से थी, जिन का कहना था कि उन्हें जो सुविधायें क्लीयरिंग हाउस से मिलती थीं, अब वे उन से बंचित हो गये हैं । इन दोनों मामलों की जांच की गई है, और इम्पीरियल बैंक को नये काउन्टर खोलने का परामर्श दिया गया है, ताकि देरी को रोका जा सके, और जहां तक क्लीयरिंग हाउस की सुविधाओं का प्रश्न है, इम्पीरियल बैंक ने अनुसूचित बैंकों को आवश्यक प्रत्यय देना स्वीकार कर लिया है ।

सरकारी कर्मचारियों का न्यायालयों द्वारा दुःख प्रतिकार

***१९२४. श्री रघुरामय्या :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ऐसा कोई नियम है जिस के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को अपने दुखों के प्रतिकार के लिए न्यायालयों में जाने से रोका जाता है ;

(ख) क्या इस विषय में, डाक तथा तार विभाग से सम्बन्धित एक मामले में हाल में पंजाब उच्च न्यायालय के चक्रभी न्यायालय के एक न्यायाधीश के विचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार न्यायाधीश की आलोचना पर विचार करते हुए विभागों के प्रमुख अधिकारियों को कोई नवीन आदेश देने का विचार रखती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ऐसा कोई नियम नहीं है । अस्तु, इस मामले में सरकारी कर्मचारियों के मार्ग दर्शन के लिये कुछ आदेश गृह-कार्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या २५/५२/५२-ऐस्टैबलिशमेंट, दिनांक ११ अक्तूबर १९५२, में दिये गये थे, जिस की प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४५**]

(ख) जी, हां ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

श्री रघुरामय्या : कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सरकारी कर्मचारी को दुःख प्रतिकार के लिए पहले सब शासकीय प्रणालियों में से गुजरना पड़ता है । क्या और कोई आदेश या नियम ऐसा है जो उपयुक्त मामलों में, सामान्य शासकीय प्रणालियों का आश्रय लिये जाने के पश्चात भी, अपने दुःख प्रतिकार के लिये न्यायालय में जाने के लिये सरकारी कर्मचारी को रोकता है?

श्री दातार : ऐसा कोई नियम नहीं है । उच्च न्यायालय द्वारा जिस बात को आपत्तिजनक बताया गया था, वह कुछ अभिव्यक्ति थी, जिस में कहा गया था कि यदि कोई नागरिक मुकद्दमा विशेष खारिज हो जाता है, तो सरकार उस मामले पर विचार देगी कि क्या वह प्रार्थना-पत्र अनर्थक था । उसे उच्च न्यायालय ने न्यायालय का अवमान करना बताया, और सरकार इस बात का विचार कर रही है कि उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री रघुरामय्या : उच्च न्यायालय के निर्णय से ऐसा प्रतीत होता है कि शासकीय ज्ञापन में दिये गये आदेशों से न्यायालय का अवमान होता है । इससे संविधानात्मक महत्व का मामला उत्पन्न होता है । प्रश्न के महत्व का विचार करते हुए, क्या सरकार संविधान की धारा १४३ के अधीन मामले का निर्देश करने के लिए राष्ट्रपति से प्रार्थना करने का विचार करती है ?

श्री दातार : सरकार इस मामले के सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा बताये गये ढंग पर विचार कर रही है । उच्च न्यायालय का निर्णय यह था कि ये अभिव्यक्तियां नागरिकों के मूल अधिकारों का अपहरण करती हैं, और इसलिये धमकी हो सकती है । सरकार बड़े ध्यानपूर्वक, माननीय सदस्य द्वारा बताय गये ढंग पर इस मामले का विचार कर रही है ।

कुमारी एनी मस्करीन : कितने मामलों में न्यायिक निर्णय विभागीय निर्णय के विपरीत था ?

श्री दातार : इस प्रकार के बहुत थोड़े से मामले हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : न्यायालयों में जाने के कारण, पश्चिमी रेलवे के कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है ?

श्री दातार : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

श्री पुन्नूस : परिपत्र सरकारी कर्मचारियों को संसद सदस्यों के पास अभ्यावेदन करने के लिये निरुत्साहित करता है। क्या सामान्य शासकीय प्रणाली के समाप्त हो जाने पर, वे ऐसा कर सकते हैं ?

श्री दातार : यह भी ऐसा प्रश्न है जो न्यायालयों में जाने से, वास्तव में सम्बन्धित नहीं है। जो प्रश्न उठाया गया है, उसका उत्तर सदन में पहले दिया जा चुका है।

तस्कर व्यापार

*१९२६. **श्री नटवाडकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३-५४ में भारत स्थित पुर्तगीजी बस्तियों की सीमाओं पर निवारक चौकियों द्वारा अब तक कुल कितने मूल्य का चोरी से ले जाया हुआ माल पकड़ा गया है; तथा

(ख) क्या किसी तस्कर व्यापारी को दण्ड दिया गया है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जनवरी १९५४ को समाप्त होने वाले दस महीनों में भारत स्थित पुर्तगीजी बस्तियों की सीमाओं पर चौकियों द्वारा चोरी से ले जाया गया लगभग ५,४३,५९० रुपये की लागत का माल पकड़ा गया है।

(ख) जी, हां। १९५३-५४ में (जनवरी १९५४ तक) ११२४ व्यक्तियों के विरुद्ध, विभागी कार्यवाही की गई है तथा दो व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकद्दमा चलाया गया है।

श्री नटवाडकर : मैं कुछ मुख्य मुख्य वस्तुओं के नाम जानना चाहता हूं, जो चोरी से ले जाई जाती हैं और क्या यह सच है कि विदेशी शराब भी बड़ी मात्रा में पड़ौस के बम्बई राज्य में चोरी से ले जाई जाती है ?

श्री बी० आर० भगत : सोना, ताश, फाउंटेन पैन, कपड़ा, घड़ियां, सिगरेट आदि तथा विदेशी शराब, चोरी से ले जाई जाती हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : सोने की तादाद हम जान सकते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : इस वक्त तो तादाद नहीं है। इस की सूचना कई बार सदन में दी जा चुकी है। और अगर मेम्बर साहब फिर अलग प्रश्न करें तो दी जा सकती है।

मध्य भारत के आदिम जातीय लोगों का उद्धार

*१९२७. **श्री डामर** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५४-५५ के लिए केन्द्रीय सरकार ने मध्य भारत की अनुसूचित आदिम जातियों तथा भूतपूर्व अपराध-जीवी आदिम जातियों के उद्धार के लिए कितनी राशि नियत की है ; तथा

(ख) १९५३-५४ के सम्बन्ध में मध्य भारत सरकार ने किस किस मद के अन्तर्गत नियत किये गये धन का अनुसूचित आदिम जातियों की भलाई के लिए प्रयोग किया है।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास

के लिए १० लाख रुपये तथा भूतपूर्व अपराध-जीवी आदिम जातियों के लिए १·५ लाख रुपये। फिर भी नियत की गई राशियां अस्थायी प्रकार की हैं तथा इनके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय राज्य सरकारों से विस्तृत योजनाओं के मिलने पर किया जायगा।

(ख) (१) रचनात्मक योजनायें।

(२) शिक्षा सम्बन्धी उन्नति की योजनायें।

(३) लोक-स्वास्थ्य तथा मलेरिया विरोधी योजनायें।

(४) ग्राम्य सड़कों की योजनायें।

(५) अन्य योजनायें।

श्री डामर : केन्द्र से दी गई रकम से आदिवासियों की भलाई के लिये मध्य भारत सरकार ने ऐसे कौन कौन से कार्य किये हैं जिन को केन्द्रीय सरकार प्रमाणित कर सकती है ?

श्री दातार: हमने उन मुख्य मुख्य मदों का वर्णन कर दिया है जिन के अन्तर्गत राशियों का व्यय किया जायगा। इनका ब्यौरा राज्य सरकारों के पास है।

श्री डामर : क्या यह बात सही है कि केन्द्र से दी जाने वाली रकम मुनासिब ढंग से आदिवासियों के उत्कर्ष की दृष्टि से पल्ले नहीं पड़ती है ?

श्री दातार : सरकार को यह पूर्णतः विदित है कि इन राशियों को आदिवासियों के हित में व्यय किया जाता है।

श्री एन० एल० जोशी : मध्य भारत सरकार ने अभी तक वस्तुतः कितनी राशि का व्यय किया है ?

श्री दातार : इस प्रश्न का सम्बन्ध १९५४–५५ में दी गई राशि से है। पिछले वर्ष सात लाख रुपये दिये गये थे।

श्री डामर : मैं जान सकता हूं कि क्या मध्य भारत सरकार राज्य में सलाहकार का पद पुनर्जिवित करना चाहती है ? यदि यह बात सही है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री दातार : मुझे यह तथ्य विदित नहीं है कि मध्य भारत सरकार कोई सलाहकार नियुक्त कर रही है। अधिक से अधिक इतना कहा जा सकता है कि यह उसका मामला है।

श्री राधेलाल व्यास: मैं यह जानना चाहता हूं कि मध्य भारत गवर्नमेंट ने इन कामों के लिये अब तक कितने रुपये की मांग की थी, जिस में से कि केन्द्रीय सरकार ने इतने रुपये देने का विचार किया है ?

श्री दातार : ये राशियां वे हैं जिन्हें भारत सरकार ने अधिकतम सीमा के रूप में निश्चित कर दिया है। भारत सरकार अधिकतम सीमा से परे नहीं जायगी। यदि योजनाओं को कुछ घटिया पाया गया तो राशि कम कर दी जायगी।

विमान-दुर्घटनायें

*१९२८. **श्री सूर्य्यप्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ से कितनी ऐसी विमान दुर्घटनायें हुई हैं जिनमें रक्षा विभाग के विमान ग्रस्त थे ; तथा

(ख) कितनी जानें गईं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). इस सूचना का देना लोक-हित में नहीं होगा।

मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं जो मैंने सदन में २३ फरवरी, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २७६ के सम्बन्ध में पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के बारे में दिया था तथा जिसमें मैंने कहा था कि भारतीय विमान बल में दुर्घटनाओं की संख्या क्रमशः कम होती जा रही है तथा जिसमें मैं ने भारतीय विमान बल तथा एक मुख्य विमान-शक्ति वाले देश की विमान दुर्घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े भी बताये थे ।

में माननीय सदस्य को यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में आत्म-संतोष से काम नहीं ले रही है ; बल्कि उपयुक्त आधुनिक विमानों की व्यवस्था करके, ठोस प्रकार की मरम्मत संस्था तथा उड्डयन के अच्छे प्रशिक्षण तथा अधीक्षण की व्यस्था द्वारा भारतीय विमान बल में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने का निरन्तर प्रयास करती रहती है । प्रत्येक घातक दुर्घटना में अथवा जांच की आवश्यकता वाली प्रत्येक दुर्घटना में कारणों को निर्धारित करने के लिये एक विशेष जांच न्यायालय की तत्काल स्थापना की जाती है तथा उसी प्रकार की दुर्घटनाओं को फिर न होने देने के लिये निवारक कार्यवाही की जाती है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में की गई विभिन्न जांचों की सिफारिशों को पूर्णतया क्रियान्वित कर दिया गया है अथवा कुछ सिफारिशें ऐसी भी हैं जिन्हें सरकार किसी न किसी कारण क्रियान्वित करने में असमर्थ है ?

श्री त्यागी : इस सम्बन्ध में कई जांच न्यायालय हो सकते हैं तथा प्रत्येक मामले में सिफारिशें भी विभिन्न हो सकती हैं । मेरे लिए यह कहना कठिन है कि क्या सभी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है या नहीं । परन्तु जब कभी वे कोई उपयोगी सुझाव देते हैं तो उसे क्रियान्वित करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाती है ।

श्री वेलायुधन : माननीय मंत्री ने कहा है कि विमान दुर्घटनाओं की सूचना को गुप्त रखना पड़ता है । परन्तु क्या यह सच नहीं है कि जब कभी ये दुर्घटनाएं होती हैं तो प्रेस में इनकी रिपोर्टें छपती हैं तथा कभी कभी मंत्री लोग दुःखातुर परिवारों को सांत्वना संदेश भेजते हैं ?

श्री त्यागी : दुर्घटना होते ही अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति के परिवार को इसकी सूचना भेज दी जाती है । जहां तक अनुपात का सम्बन्ध है, मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि दुर्घटनाओं की दर में कमी हो रही है । १९४९ की २·८ प्रति हज़ार घंटा की तुलना में सन् १९५३ में यह दर १·४ प्रति हजार घंटा रह गई है ।

रक्षा विज्ञान सेवा

*१९२९. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रक्षा विज्ञान सेवा की स्थापना हो चुकी है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो कब ; तथा

(ग) इस संस्था में वैज्ञानिकों की इस समय संख्या कितनी है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख) रक्षा मंत्रालय में रक्षा विज्ञान संस्था १९४८ से चली आती है तथा इस संस्था में वैज्ञानिक काम कर रहे

हैं। रक्षा मंत्रालय में तथा तीनों सेवाओं में वैज्ञानिक सेवाओं के लिए रक्षा विज्ञान सेवा की इस समय स्थापना की जा रही है। ये नियम प्रकाशित हो चुके हैं तथा उपयुक्त व्यक्तियों के प्रार्थनापत्रों तथा नामों को एकत्रित किया जा रहा है। आशा की जाती है कि इन व्यक्तियों को शीघ्र ही चुन लिया जायगा।

(ग) रक्षा विज्ञान संस्था की सेवा में इस समय २० वरिष्ट वैज्ञानिक तथा २५ कनिष्ट वैज्ञानिक हैं। इन के अतिरिक्त वैज्ञानिक परामर्शदाता तथा उपमुख्य और मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी भी इस सेवा में हैं।

सरदार हुक्म सिंह : वा की स्थापना के बाद सैनिक वैज्ञानिकों के साथ असैनिक वैज्ञानिकों के कुछ अनुपात में लेने की प्रस्थाना है ?

श्री त्यागी : अभी इस बारे में कोई अनुपात निश्चित नहीं किया गया है। मुख्य रूप से सेवा में असैनिक वैज्ञानिकों को लिया जायगा। दूसरे वैज्ञानिकों को भी, जो तीनों सेवाओं में नियुक्त हैं, लिया जायगा। परन्तु असैनिक वैज्ञानिक ही इस संस्था में केन्द्रीय महत्व रखते हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस संस्था ने १९५३ में रक्षा विज्ञान के कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में गवेषणा की थी ?

श्री त्यागी : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे बहुत विस्तृत पुर्नाविलोकन करना पड़ेगा। माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि वह मुझे एक नये प्रश्न की पूर्वसूचना दें।

श्री मेघनाद साहा : क्या रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के सम्बन्ध में भी कोई योजनायें हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पृथक रूप से तो कोई प्रयोगशाला नहीं हैं परन्तु नैशनल फ़िज़ीकल लैबोरेटरी का एक बहुत बडा भाग रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है।

श्री मेघनाद साहा : क्या प्रधान मंत्री को विदित है कि नैशनल फ़िज़ीकल लैबोरेटरी का यह भाग एक सुसंगठित रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के लिए अपर्याप्त है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य इस मामले में मुझ से अधिक विशेषज्ञ हैं। यह बात इस तथ्य पर निर्भर करती है कि हम इसे किस तरह से मानते हैं। हो सकता है कि माननीय सदस्य के दृष्टिकोण से, जों प्रत्येक बात को अति उत्तम देखना चाहते हैं, यह बढ़िया स्तर को न हो।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या राष्ट्रमण्डल के विभिन्न देशों से विचारों तथा गवेषणा के परिणामों का विनिमय हो रहा है, तथा यदि ऐसा है, तो क्या भारत ऐसे विनिमय का पूर्ण लाभ उठा रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, समय समय पर सम्मेलन होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त विख्यात वैज्ञानिक जिनसे हमने इस मामले में परामर्श लिया है, इस देश में समय समय पर आ चुके हैं।

बाल सहायता संस्थायें

***१९३१. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों सहित उन राज्यों के नाम जहां इस समय बाल

सहायता संस्थायें काम कर रही हैं ; तथा

(ख) १९५० से १९५३ के वर्षों तक इन संस्थाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी गई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख), सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : इन संस्थाओं के कार्य तथा कृत्य क्या हैं ?

श्री एम० एम० दास: इनके कृत्यों में अपेक्षित तथ्य अपराध वृत्ति वाले बच्चों की देखभाल, सुरक्षण, शिक्षा तथा प्राशिक्षण शामिल हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या ये संस्थाओं सरकारी हैं या गैर सरकारी; तथा यदि ये गैर सरकारी हैं तो क्या इन्हें कोई सहायता दी गई है ?

डा० एम० एम० दास: सभी अधिकांश संस्थाओं का प्रबन्ध गैर सरकारी हाथों में है, परन्तु एक ऐसी गैर सरकारी संस्था को १९५१ में दिल्ली राज्य सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था तथा उस समय से दिल्ली राज्य सरकार इसे चला रही है ।

श्री एस० सी० सामन्त: लाला राज कुंवर के एक प्रश्न का १९५० में उत्तर देते समय, माननीय मंत्री ने कहा था कि सूचना एकत्रित की जायेगी । क्या उस सूचना को एकत्रित किया जा चुका है तथा क्या नये सिरे से संग्रह हो रहा है ?

डा० एम० एम० दास : यदि इस सदन को ऐसा कोई वचन दिया गया था कि सूचना एकत्रित की जायेगी, तो अवश्य ही यह एकत्रित हो चुकी होगी तथा उसे सदन पटल पर रख दिया गया होगा ।

डा० रामा राव : इन संस्थाओं तथा सरकार द्वारा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में कितने अनाथालय चलाये जा रहे हैं ?

डा० एम० एम० दास: इस सूचना को भी अब एकत्रित कर लिया जाय ।

घटिया प्रकार का मैंगनीज़ प्रस्तर

*१९३२. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गवेषणा प्रयोगशालाओं ने घटिया प्रकार के मैंगनीज प्रस्तर को काम में लाने के लिए कोई यत्न किया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) भारतीय खान-विभाग ने राष्ट्रीय धातु-विभाग प्रयोगशाला के सहयोग से घटिया प्रकार के मैंगनीज प्रस्तर के लाभों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य किया है जिससे कि उसका उचित प्रयोग किया जा सके। अभी तक प्राप्त हुए परिणाम संतोषजनक हैं। इस बारे में अग्रेत्तर गवेषणा हो रही है ।

श्री पी० सी० बोस : इस समय भारत में ऐसे धातु प्रस्तर की कुल कितनी मात्रा पड़ी है ?

श्री के० डी० मालवीय : निस्सन्देह हमारे यहां कितना ही माल पड़ा है, परन्तु तत्काल ही मैं कोई आंकड़े देने में असमर्थ हूं।

कलकत्ता विश्वविद्यालय को अनुदान

***१९३३. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में कलकत्ता विश्वविद्यालय को अनुसन्धान उपकरणों, पुस्तकालयों, भवनों तथा कर्मचारीवर्ग का विकास करने के लिये तथा किन योजनाओं के लिये कितना अनुदान दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४६**]

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जब से यह अनुदान दिये गये हैं, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के इन विभागों में विद्यार्थियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

डा० एम० एम० दास : मैं अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर कह रहा हूं, मैं स्वयं को वाक्‌वद्ध नहीं करना चाहता हूं— सामान्य रूप से ४७ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : योजना के प्रारम्भ होने से—१९४७-४८ से कितनों ने अपना अनुसन्धान कार्य पूरा किया है ?

डा० एम० एम० दास : मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान म रखते हुए कि इन अनुदानों को देने का एक कारण राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिये प्रशिक्षित अनुसन्धानकर्त्ताओं का निश्चित प्रवाह सुनिश्चित करना रहा है, मैं ज्ञात कर सकती हूं कि उन में से कितनों को, जिन्होंने अपना शोध कार्य पूरा कर लिया है इन प्रयोगशालाओं में ले लिया गया है ?

डा० एम० एम० दास : यह तो एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है। वृत्तियां शोध-कार्य करने वाले विद्यार्थियों को दी जाती हैं; इस का विश्वविद्यालय को दिये गये अनुदानों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय को अध्यापकों की वेतन वृद्धि करने के लिये कोई अनुदान दिया गया है ?

डा० एम० एम० दास : यह अनुदान दो योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये हैं; एक प्रोद्योगिक तथा इंजीनियरिंग विद्यालयों के विकास के सम्बन्ध में है, और दूसरी योजना वैज्ञानिक तथा प्रविधिक शिक्षा तथा शोध-कार्य के विकास के लिये है। एक और धनराशि अप्रविधिक तथा अवैज्ञानिक शिक्षा के लिये भी दी गई है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार की नीति हमारी प्रयोगशालाओं को और अधिक उत्तम प्रकार से संचालित करने के लिये उपयुक्त व्यक्तियों की व्यवस्था करने के लिए अनुदान देने की है ?

डा० एम० एम० दास : जैसा कि मैं ने निवेदन किया, योजना का सम्बन्ध इस देश में प्रोद्योगिक तथा इंजीनियरिंग विद्यालयों के विकास से है। यह योजना संख्या १ है; योजना संख्या २ वैज्ञानिक तथा प्रविधिक शिक्षा तथा शोध-कार्य के विकास के सम्बन्ध में है। यदि माननीय सदस्या का यह विचार है कि इस से हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य गवेषणा प्रयोगशालाओं को जाने वाले

विद्वानों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ जायेगी, तो ऐसा होना संभव है ।

अनुसूचित आदिम जातियों और अनूसूचित जातियों को छात्रवृत्तियां

*१९३५. **श्री डामर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने मध्य भारत की अनुसुचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों को शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिये अगस्त, १९४७ से अब तक कुल कितनी राशि छात्रवृत्तियों के रूप में दी है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : ८०,२५४ रुपये ।

श्री डामर : मध्य भारत में कितने आदिवासी, हरिजन तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थी हैं जो उच्च शिक्षा पा रहे हैं ?

डा० एम० एम० दास : १९५३-५४ में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़ी जातियों को दी गई वृत्तियों की कुल संख्या ६९ है ।

श्री डामर : क्या केन्द्रीय सरकार आदिवासी छात्रों को विदेशों में शिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजने की सामर्थ्य रखती है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछडी जातियों को विदेशी छात्रवृत्तियां दिये जाने की व्यवस्था की है ।

श्री नानादास : क्या मैं इन छात्रवृत्तियों के विभिन्न राज्यों में बांटने के सम्बन्ध में अपनाई गई पद्धति को जान सकता हूं ?

डा० एम० एम० दास : यह विभिन्न समुदायों की जन संख्या के अनुसार है--- मेरा आशय अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़ी हुई जातियों से है । यह जन संख्या के आधार पर किया जाता है ।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना

*१९३६. **श्री जी० एल० चौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना में सेवायुक्त अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या दस है ।

श्री जी० एल० चौधरी : क्या यह सही है कि रिज़र्वेशन फार शिड्यूल्ड फास्ट के अनुसार यह संख्या कम है ?

श्री दातार : विशेष पुलिस स्थापना के कर्मचारियों की संख्या म कुछ भ्रांति है । जहां तक पुलिस अधिकारियों का सम्बन्ध है, भारत सरकार की कोई पदाली नहीं है; वह राज्यों से अफसरों को ले लेती है; जहां तक प्रशासनिक भाग का सम्बन्ध है, हम अन्य विभागों तथा मंत्रालयों से अफ़सरों तथा राजसेवकों को स्थानान्तरित करतें हैं । अत: विशेष पुलिस स्थापना में विशेष रूप से कोई सुरक्षण करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि इन दस में से घोषित अधिकारी कितने हैं?

श्री दातार : इन दस में से राज्यों से लिये गये कोई घोषित अधिकारी नहीं हैं ।

सैनिक अस्पतालों में कल्याण सेवायें

*१९३७. **सरदार हुक्म सिह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सैनिक अस्पतालों में १९५३-५४ में बीमार तथा घायल लोगों के लिये

कल्याण-सेवाओं की व्यवस्था पर किया गया योग व्यय ; तथा

(ख) इस काल में (१) झंडा दिवस निधि, (२) उपहार गृहों का लाभ, (३) सैनिक अस्पतालों के बीमारों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की बिक्री से तथा (४) वार्षिक कल्याण आन्दोलन के द्वारा अन्य चन्दों आदि से कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ७४,०९२ रु०

(ख) (१) ३०,००० रु०

(२) ५०,००० रु०

(३) ३, २०६ रु० १० आ० ६ पा०

(४) ४०६ रु० १४ आ०

सरदार हुक्म सिंह : चूंकि ये सेवाएं इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी से ले ली गई थीं, तो अब वे किसी विशेष समिति के अधीन हैं अथवा विभाग ही उनको चला रहा है ?

श्री सतीश चन्द्र : सैनिक अस्पतालों में जहां तक कल्याण सेवायें करने वाले लोगों का सम्बन्ध है, उनके नियम आदि इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी ने बनाये थे और वे रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस कार्य के लिये कोई केन्द्रीय सेवा है अथवा प्रत्येक अस्पताल का प्रबन्ध उसके कर्मचारी ही करते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : पैंतीस कल्याणकारी अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय रूप में एक व्यवस्थापक बोर्ड के द्वारा की गई है जिसमें डी० जी० ए० एफ० एम० एस०, रक्षा मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव तथाचिकित्सा सेवा के संचालक आदि होते हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कोई ऐसी गैर सरकारी संस्थायें भी हैं जिनके सदस्य इस बोर्ड से सम्बन्धित है अथवा यह बोर्ड सरकारी ही है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं इसके लिये पूर्व सूचना चाहूंगा। यह बोर्ड एक केन्द्रीय संगठन है जो रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है, जिसके अपने अधिकारी हैं जो विभिन्न अस्पतालों में कार्य करते हैं। उनकी सेवा की शर्तें इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी ने बनाई हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन सेवाओं के लिये प्रतिवर्ष तदर्थ चन्दे झंडा दिवस निधि से दिये जातें हैं अथवा कोई प्रतिशत निर्धारित है जो चन्दों में से दे दी जाती है ?

श्री सतीश चन्द्र : इसके लिये कोई भी प्रतिशत निर्धारित नहीं है। चन्दे आवश्यकता तथा निधि के लिये एकत्र की गई राशि के हिसाब से दिये जातें हैं।

बैल गाड़ी के पहिये का डिज़ाइन

*१८०९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्राकृतिक ससाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १७ अगस्त, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय मार्ग गवेषणा संस्था, देहली में बैलगाडियों के पहियों के लिये धुरा प्रणाली पर आधारित कोई उचित डिज़ाइन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हो गया है ;

(ख) उनकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं; तथा

(ग) इस समय जो पहिये चल रहे हैं उनकी तुलना में इनका कैसा मूल्य है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) नहीं श्रीमान्, केन्द्रीय मार्ग गवेषणा संस्था, देहली ने एक 'व्हील टेस्टर' (पहिया परीक्षक) नामक मशीन का डिज़ाइन तैयार किया है जो विभिन्न प्रकार की बैलगाड़ियों के पहियों की धुरी के गुण तथा उपयोगिता की जांच करेगी ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री एस० सी० सामन्त : किन किन चीज़ों पर ये प्रयोग किये गए थे ?

श्री के० डी० मालवीय : संस्था की डिज़ाइन के अनुरूप इस व्हील टेस्टर (पहिया परीक्षक) को बनाने का उद्देश्य बैलगाड़ी के विभिन्न प्रकार के पहियों की धुरियों के गुणों तथा उपयोगिता की जांच करना है । बैलगाड़ी के पहियों की धुरियों की नई डिज़ाइनों के एकस्व के कुछ मालिकों को उनके एकस्व की परीक्षा करने का वचन दे दिया है और परीक्षण के लिये प्रयोगशाला में नमूना भेज देने के लिये कह दिया गया है । पहिया परीक्षक यही कार्य कर रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या बाल-बेयरिंग प्रणाली का प्रयोग किया गया था?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या इन बैलगाडियों को गांव की सड़कों पर चलाया जा सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, ये गड़ियां अधिकांशत: गांव की सड़कों पर ही चलाई जाती हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इस स्था ने अपना यह निर्णय दिया है कि सड़कों के लिये रबड़ टायर अधिक उपयुक्त होंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : सामान्यत: समझा यह जाता है कि गांवों की सड़कों के लिये विद्यमान पहियों की अपेक्षा रबड टाइर कहीं अधिक अच्छे होंगे किन्तु जहां तक मुझे विदित है गवेषणा संस्था ने ऐसी कोई बिशेष सम्मति नहीं दी है ।

विदेश भेजे गये अधिकारी

*१९११. **श्री सिंहासन सिंह (श्री एस० एन० दास की ओर से) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन अधिकारियों की संख्या तथा श्रेणी जिनको उनके मन्त्रालय द्वारा सरकारी डयूटी पर १९५३ में विदेश भेजा गया था ;

(ख) उन के भेजे जाने का उद्देश्य; तथा

(ग) इस पर हुआ योग व्यय ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) कोई नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री सहासन सिंह : क्या १९५३ में कोई भी अधिकारी विदेश नहीं भेजा गया था ?

डा० एम० एम० दास : १९५३ में कोई भी अधिकारी विदेश नहीं भेजा गया था ।

श्री सिंहासन सिंह : १९५२ तथा १९५१ में ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान, प्रश्न तो १९५३ के सम्बन्ध में पूछा गया है ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या यह सच नहीं है कि १९५३ में डा० भटनागर तथा तीन अन्य लोग विदेश भेजे गये थे?

डा० एम० एम० दास : यह सच है किन्तु डा० भटनागर प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के सचिव के रूप में गये थे, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी के रूप में नहीं। तीन अन्य अधिकारी भी गये थे, किन्तु वे लोग अवकाश, पर गये थे सरकारी कार्य से नहीं।

श्री सिंहासन सिंह: क्या इस काल में कोई सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल भी विदेश भेजा गया था जिसमें उनके साथ अधिकारी भी भेजे गये थे ?

डा० एम० एम० दास: १९५३ में कोई भी ऐसा प्रतिनिधिमण्डल विदेश नहीं भेजा गया था जिसमें सरकारी अधिकारी भी गये हों।

श्री पुन्नूस: १९५३ में विदेश स्थित अधिकारियों को वेतन दिया गया है ? यह कहा जाता है कि १९५३ में हमने किसी भी अधिकारी को विदेश नहीं भेजा, किन्तु १९५१ तथा १९५२ में जो लोग भेजे गये थे, उनम से तो सम्भवत: कुछ वहां रह गये हों।

डा० एम० एम० दास : पूरा उत्तर देना सम्भव नहीं, किन्तु हमने हाल ही में अपने तीन अधिकारियों का स्थानान्तरण विदेशी दूतालयों में कर दिया है। वे ये हैं: प्रथम को नेरोबी स्थित भारतीय उच्च आयोग में, द्वितीय को बान स्थित भारत के दूतालय म और तृतीय को लन्दन स्थित भारत के उच्च आयोग के शिक्षा विभाग में नियुक्त कर दिया गया है।

साहूकार

*१९३०. **श्री सिंहासन सिंह (श्री एस० एन० दास की ओर से)** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम में अनुसूचित बैंकों से सम्बन्धित उपबन्धों का विस्तार करके उन्हें साहूकारों को लागू करने के लिये कार्यवाही की गई है अथवा की जाने का विचार किया जा रहा है और यदि ऐसा है तो वह कार्यवाही क्या है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में हाल में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से परामर्श किया गया है; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो इस प्रस्थापना के बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम की धारा १७ तथा ४२ को निर्देश कर रहे हैं। यह भी विचार किया जाता है कि "प्राइवेट बैंकर्स" का अभिप्राय वे "देशी साहूकार" हैं जो संयुक्त स्टाक बैंक की भांति दर्ज नहीं है और इसीलिये न तो अनुसूचित बैंकें हैं और न अनुसूचित ही। भूतकाल में समय समय पर देशी महाजनों को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से जोड़ देने तथा बैंक से ऋण प्राप्त करने के योग्य बना देने के प्रयत्न किये गये हैं किन्तु उन्हें बैंक प्रणाली में सम्मिलित कर लेना मुख्यत: देशी महाजनों की बैंकिंग के अतिरिक्त कार्यवाहियों को त्यागने में अनिच्छा के कारण सम्भव नहीं हो सका।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) रिजर्व बैंक ने बताया है कि इस प्रश्न के यथोचित अध्ययन करने के

लिये देशी महाजनों के सम्बन्ध में तथ्य सम्बन्धी एक विशद पर्यवेक्षण के द्वारा सम्पूर्ण सूचना एकत्रित करनी है । रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में किये गये ग्राम्य ऋण पर्यवेक्षण के उद्देश्यों में से एक यह जानना था कि देश के विभिन्न भागों में देशी महाजनों की ऋण के ढांचे सम्बन्धी स्थिति उनके व्यापार के तरीके, उनके वित्तीय साधनों, उनके कार्य करने के स्तर आदि में और विशेष रूप से कृषि के लिये वित्त व्यवस्था करने में उनका क्या स्थान और महत्व है । इस विषय में और अधिक जानने के लिये उस पर्यवेक्षण के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

श्री सिंहासन सिंह : इस पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप क्या सरकार कृषकों को सस्ती दर पर ऋण दिलाने में सहायता करने के लिये कोई कृषि सम्बन्धी योजना बनाने का विचार कर रही है ?

श्री बी० आर० भगत : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न भी पर्यवेक्षण के प्रतिवेदन से सम्बन्धित है । ग्राम्य ऋण पर्यवेक्षण ने भी इस पर विचार किया है ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को दृष्टि में रखते हुए सहकारिता बैंकों को सस्ती दर पर धन देकर कृषकों को सस्ती दर पर ऋण दिलाने की व्यवस्था करने के लिये अब तक कुछ उपाय किये गए हैं कि जिससे ये बैंक कृषकों को वारी वारी से धन दे सकें ?

श्री वी० आर० भगत : गत कुछ वर्षों में रिजर्व बैंक के ग्राम्य वित्त पक्ष का विस्तार हो गया है, और रिजर्व बैंक ने विभिन्न सहकारिता बैंकों को ऋण दिया है । किन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं कि विषय बड़ा महत्वपूर्ण है रिजर्व बैंक ने यह विचार किया है कि उसको देश के ग्राम्य वित्त के सम्बन्ध में तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करनी चाहिये । और इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्राम्य ऋण पर्यवेक्षण किया गया था । प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगा और अन्य कार्य बाद में किया जायेगा ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या यह सच नहीं कि ये सहकारिता बैंक कृषकों को ९ प्रतिशत दर पर ऋण देते हैं, और इतनी ऊंची दर को घटाने के लिये सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है ?

श्री बी० आर० भगत : विभिन्न सहकारी बैंकों द्वारा ब्याज का बहुत अधिक दर लिये जाने के बारे में विभिन्न राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं । रिजर्व बैंक ने इस प्रश्न की छान बीन की और उसने बहुत से राज्यों में ब्याज का दर कम करवा दिया है । किन्तु इसमें यह कठिनाई थी कि सहकारी बैंकों के धन का केवल एक भाग रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण से पूरा किया जाता है, वे ब्याज के ऊंचे दरों पर अन्य स्रोतों से धन उधार लेते हैं । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने बहुत से राज्यों में दरों को कम करवा दिया है ।

संघ लोक सेवा आयोग

*१९३८. **श्री सिंहासन सिंह (श्री एस० एन० दास की ओर से)** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद ३२० के खण्ड (३) के परन्तुक में दिया हुआ है, पुनरीक्षित विनियम बनाए हैं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो पुनरीक्षित विनियमों के संसद् के समक्ष कब तक रखे जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : पुनरीक्षित विनियमों का एक आरम्भिक प्रारूप आयोग के परामर्श से तय्यार किया गया था । उससे उत्पन्न होने वाली बातों पर अब विचार किया जा रहा है । ऐसी आशा की जाती है कि उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप से तय कर दिया जायगा । उसके बाद, अनुच्छेद ३२० के अनुसार वे संसद् के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जायेंगे ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या विशेष कार्य के लिए नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग के पास उसकी अनुमति के लिए भेजे जाते हैं ?

श्री दातार : मैं यह नहीं बता सकता कि अन्तिम रूप से तय किया जाने वाला यह कार्य किस यथार्थ प्रक्रम पर है, किन्तु मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यह मामला अपने अन्तिम प्रक्रम पर है और हम शीघ्र ही इन विनियमों को संसद् के समक्ष रख सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि प्रश्न यह था कि विशेष कार्य के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी वे थे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने चुना था ।

श्री दातार : मुझे नहीं मालूम कि ये विशेष अधिकारी जो आरम्भिक सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किए गए थे वे संघ लोक सेवा आयोग की अनुमति से नियुक्त किए गए थे या नहीं किन्तु मैं यह बता दूं कि यह प्रारूप आयोग के समक्ष रखा गया था और उस सम्बन्ध में उसके विचार प्राप्त किए गए थे तथा उनका यथासम्भव अधिक ध्यान रखा जाता है ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या यह सच नहीं है कि बहुत से अधिकारियों को जो कि सेवा निवृत्त हो गए थे उनके मामले संघ लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट किए बिना या उनके विगत सेवा अभिलेखों को देखे बिना ही फिर से नियुक्त कर लिया गया है ?

श्री दातार : यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती, तथा वार्धक्य प्राप्त करने के बाद फिर से सेवा में लगाने या नियुक्त करने से सम्बन्धित प्रश्न का इस सदन में पहले उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री रघुरामय्या : क्या सरकार का विचार इन विनियमों को इसी सत्र में अन्तिम रूप से तय करने तथा उन्हें सदन के समक्ष रखने का विचार है, क्योंकि अनुच्छेद ३२०, खण्ड (५) के अन्तर्गत सदन को उसी सत्र में संशोधन करने का अवसर दिया जाना चाहिए जिस में यह सदन पटल पर रखा जाता है ?

श्री दातार : मैं उन्हें इस सत्र में सदन पटल पर रखने का वचन नहीं दे सकता, किन्तु हम उन्हें संसद् के अगले सत्र में रखने का पूरा प्रयत्न करेंगे ।

श्री दाभी : किस कारण के आधार पर सरकार कुछ मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लेती ?

श्री दातार : यह सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श न लेने का प्रश्न नहीं है । कुछ ऐसे मामले हैं

जिनमें सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संयुक्त प्रामर्श करके निर्णय करती है क्योंकि ऐसे मामलों में सरकार यह समझती है कि अधिकारियों को चुनने के मामले में उसकी बात अधिक मानी जानी चाहिए।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या यह सच है कि यह मंत्रालय गत चार वर्षों से इन नियमों पर विचार कर रहा है ?

श्री दातार : सरकार इन पर गत चार वर्षों से विचार नहीं कर रही है। वास्तव में, स्वयं संविधान ही चार वर्ष से बना है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ग्रामोद्धार समिति (मनीपुर)

*१९१४. **श्री दशरथ देव :** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को १९५४ में चसात लाइन ग्रामोद्धार समिति से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो उसने कौन सी मांगे प्रस्तुत की हैं ; तथा

(ग) उन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्य किए गए हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां।

(ख) ये मांगें सड़कें तथा पुल बनाने और प्रारम्भिक स्कूल और औषधालय खोलने के सम्बन्ध में हैं।

(ग) राज्य सरकार इन मांगों पर विचार कर रही है।

आय-कर से छूट

*१९१७. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि किसी वाणिज्यिक संस्थापना के प्रबन्धक कर्मचारियों को लाभांश में मिलने वाली आय कर मुक्त होती है ;

(ख) क्या कोई ऐसे विशेष नियम हैं जिनके द्वारा ऐसी परिस्थितियां निर्धारित की जाती हों जिनके अन्तर्गत इस प्रकार की छूट दी जा सकती हो ; तथा ;

(ग) क्या इस उपबन्ध के दुरुपयोग कए जाने के उदाहरण हुए हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : जी हां, यदि कुछ शर्तें पूरी होती हों।

(ख) जी हां। भूतपूर्व वित विभाग अधिसूचना संख्या ८७८-एफ, दिनांक २१ मार्च १९२२, जैसा कि उसे अधिसूचना संख्या ८, दिनांक २४ मार्च १९२८ द्वारा संशोधित किया गया है, के अन्तर्गत छूट की शर्तें निर्धारित हैं।

(ग) जी हां।

सीमा सम्बन्धी झगड़े

*१९१९. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने आंध्र, मद्रास तथा मैसूर सरकारों के प्रतिनिधियों को इन तीनों राज्यों से सम्बन्धित सीमा सम्बन्धी झगड़ों के मामलों पर विचार विमर्ष करने के लिये नई दिल्ली में किये जाने वाले एक संयुक्त सम्मेलन मे भाग लेने के लिये बुलाया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इस सम्मेलन के कब किये जाने की प्रस्तावना है ?

गृह-कार्य तथा राज्यमंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). मैं माननीय सदस्य का ध्यान २५ मार्च, १९५३ को आंध्र के पृथक् किये जाने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये भाषण की ओर तथा संसद् में आंध्र राज्य विधेयक पर चर्चा किये जाते समय मैंने जो भाषण दिये थे उनकी ओर दिलाता हूं। उनमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रधान मंत्री के भाषण में निर्दिष्ट सीमा आयोग या आयोगों का कार्यक्षेत्र मद्रास, आंध्र तथा मैसूर राज्यों की एक सीमाओं के छोटे छोटे समायोजनों तक ही सीमित होगा। इन राज्यों को यह सूचना दे दी गई है कि यदि एक अन्तर्राज्य सम्मेलन करने से इससे सम्बन्धित मामलों पर विचार करने तथा विचार विनिमय करने में सहायता मिलेगी तो उसके आयोजन के लिये प्रबन्ध किया जायगा।

अधिग्रहीत भूमि

*१९२१. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) "शस्त्रागार गुम्मिडिपुंडी" परियोजना के लिये सरकार ने जो भूमि अधिग्रहीत की है, क्या उसके मालिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) वह अभ्यावेदन किस प्रकार का है;

(ग) सैनिक अधिकारियों ने कितनी भूमि अधिग्रहीत की तथा यह अधिग्रहण किस तारीख को किया गया था; तथा

(घ) वास्तव में कितने क्षेत्र का उपयोग किया जाता है?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) वह अभ्यावेदन भूमि को वापिस देने या भूमि अधिग्रहण तथा क्षतिपूर्ति की मात्रा बढ़ाने के सम्बन्ध में था।

(ग) अर्जित ..... कुछ नहीं।
अधिग्रहीत .... अप्रैल १९४४ में ५९५९·६२ एकड़ जिसमें से १३५५·५२ एकड़ भूमि १९५३ में वापिस दे दी गई थी।

(ख) ४६०४·१ एकड़ पूरे क्षेत्र का जो कि अभी अधिग्रहीत ही है, सेना द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।

नई राजधानियों के विकास के लिये अनुदान

*१९२२. **श्री पी० रामस्वामी** : (क) **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राजधानियों के विकास के लिये कोई अनुदान दे रही है ?

(ख) किन किन राज्यों को ये मांगे पहिले ही दे दी गई हैं और कितनी राशि की दी गई हैं?

(ग) किन राज्यों की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है और कितनी राशियों के लिये?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी नहीं।

(ख) १९४६ में तथा उससे पहिले दिये गये वचनों के अनुसार केवल उड़ीसा सरकार को उस राज्य की राजधानी के बनाने के खर्च के लिये १७१·२६ लाख रुपये तक के अनुदान दिये गये थे।

(ग) इस समय सरकार पंजाब सरकार द्वारा ४४ लाख रुपये की मांगी गई अनुदान की प्रार्थना पर विचार कर रही है।

उत्तर पूर्व सीमान्त आदिम जातियों के लिए स्कूल

*१९२५. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का उत्तरपूर्व सीमान्त आदिम जातियों के लिए स्कूल स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्कूलों में हिन्दी भी पढ़ाई जायगी?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, सामन्यतया शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड द्वारा पारित किये गये संकल्प की, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, शर्तों के अनुसार।

आंध्र में सेना की भूमि

*१९३४. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आंध्र राज्य में सेना की कितनी भूमि बेकार पड़ी है ;

(ख) क्या इस भूमि को बेच देने के लिए भारत सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो यह योजना किस प्रकार की है?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ९८·९६ एकड़ भूमि सेना की आवश्यकता से अधिक है।

(ख) जी हां।

(ग) भारत सरकार (रक्षा मंत्रालय) ने सब फ़ालतू भूमि को प्राथमिकता के इस क्रम के अनुसार बेच देने का निर्णय किया है :

(१) भारत सरकार के अन्य मंत्रालय।

(२) राज्य सरकारें।

(३) स्थानीय निकाय।

(४) शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएं।

(५) भूतपूर्व सैनिक।

(६) यदि उपरोक्त में से किसी ने रूचि न ली, तो भूमि को खुले नीलाम के द्वारा बेच दिया जायेगा।

आर्डनेंस फैक्टरी, कानपुर में आत्म-हत्या

४१२. **श्री वी० पी० नायर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आर्डनेंस फैक्टरी, कानपुर में १३ मार्च, १९५४ को होने वाली आत्म-हत्या की घटना के बारे में किसी जान्च न्यायालय की नियुक्ति का आदेश दिया गया है या किसी जांच न्यायालय ने जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो इस के निर्णय क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कोई कार्य-वाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) चूंकि रंगीलाल दरबान जिसने आत्म-हत्या की थी, एक असैनिक कर्मचारी था, इसलिए इस मामले की सूचना पुलिस को देनी पड़ी थी। पुलिस ने जांच के बाद कहा था कि यह आत्म-हत्या का मामला है। आर्डनेंस फैक्टरी, कानपुर के अधीक्षक ने अपनी ओर से पूछ ताछ की थी और उसे ज्ञात हुआ था कि श्री रंगीलाल को कोई ऐसी तकलीफ

नहीं थी जो उनके ध्यान में आई हो, किन्तु वह दवाइयों के बहुत से नुस्खे और पत्रिकाएं लेता रहा था और सामान्यतया उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था।

पाकिस्तानी प्रतिभूतियां

४१३. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त, १९४७, ३० जून, १९४८ और १७ सितम्बर, १९४९ को ३१ पाकिस्तानी प्रतिभूतियों की राशि क्या थी, जो कि भारतीय खजानों द्वारा देय थीं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर पटल पर रख दी जायेगी।

यूनेस्को सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग

४१४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
डा० रामा राव :

क्या **शिक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) यूनेस्को-सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग के पहले सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) यूनेस्को उन्हें कब तक अन्तिम रूप दे देगी ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ४७]**

(ख) उक्त आयोग ने भारत सरकार से सिफारिशें की हैं। वे सिफारिशें जो सामान्य रूप से लागू हो सकती हैं और भारत सरकार ने अनुमोदित की हैं, यूनेस्को के अगले सामान्य सम्मेलन के विचारार्थ जो कि नवम्बर, १९५४ में होगा प्रस्तुत की जायेगी।

यूनेस्को सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग

४१५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
डा० रामा राव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यूनेस्को के स्थायी राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों तथा सम्बद्ध सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या उन्हें कोई पारिश्रमिक या भत्ते मिलते हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ४८]**

(ख) आयोग के सदस्यों और सम्बद्ध सदस्यों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। किन्तु आयोग की बैठकों में सम्मिलित होने के लिए सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिय जाते हैं। सम्बद्ध सदस्यों को ऐसे कोई भत्ते नहीं दिये जाते।

सीमान्त सुरक्षा पहरा

४१६. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार सीमान्त पर पहरा रखने के लिए सीमांत राज्यों को कोई विशेष वित्तीय सहायता देती है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि दी गई है और १९५३–५४ में किन किन राज्यों को दी गई थी ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) वित्तीय सहायता उत्तर-प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यों को दी जा रही है।

(ख) १९५३–५४ में दी जाने वाली राशि अभी ठीक ठीक निश्चित नहीं की गई।

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
२० अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अंक ४--१७ अप्रैल से ४ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
शनिवार, १७ अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग, कोरिया के प्रतिवेदन और चुने हुए दस्तावेज	३४३९
आवश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—	
दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशान्त महा सागर के लिये सामूहिक रक्षा की व्यवस्था	३४३९–३४४३
सदन का कार्यक्रम	३४४३–३४४५
अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या २६–वित्त मंत्रालय	३४४६–३४८७
मांग संख्या २७–सीमा शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २८–संघ उत्पादन शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २९–निगम कर तथा संपत्ति शुल्क समेत आय पर कर	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३०–अफीम	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३१–स्टाम्प्स	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३२–अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा कोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि का भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३३–लेखा-परीक्षा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३४–मुद्रा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३५–टकसाल	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३६–प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३७–वृद्धावकाश भत्ता तथा निवृत्ति वेतन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३८–वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३९–राज्यों को सहायक अनुदान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४०–संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४१–असाधारण भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४२–विभाजन पूर्व के भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ११५–भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजीव्यय	३४४६–३४८७

	पृष्ठ भाग
मांग संख्या ११६—मुद्रा पर पूंजी व्यय	३४४६—३
मांग संख्या ११७—टकसाल पर पूंजी व्यय	३४४६—३४
मांग संख्या ११८—निवृत्ति वेतनों का परिगत मूल्य	३४४६—३४८७
मांग संख्या ११९—छंटनी किये गये व्यक्तियों को भुगतान	३४४६—३४८८
मांग संख्या १२०—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२१—केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	३४४६—३४८
मांग संख्या ७०—विधि मंत्रालय	३४८७—३४८
मांग संख्या ७१—चाय-व्यवस्था	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७२—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७३—भारतीय भूपरिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७४—वानस्पतिक सर्वेक्षण	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७५—प्राणकीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७६—भूतत्वीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७७—खानें	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७८—वैज्ञानिक गवेषणा	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७९—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ८०—संसद् कार्य विभाग	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०७—संसद्	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०८—संसद् सचिवालय के अधीन विविध व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०९—उपराष्ट्रपति का सचिवालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १३१—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४८७—३४८८
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित	३४८८—३४८९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छठी रिपोर्ट स्वीकृत	३४८९—३४९
केन्द्र में प्रशासन-तन्त्र तथा कार्यप्रणाली के विषय म संकल्प—असमाप्त	३४९०—३५३८
सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—शकूर बस्ती आर्डिनेन्स डिपो में गड़बड़	३५३९—३५४२
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित	३५४२—३५४३
वित्त विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३५४३—३६१६

पृष्ठ भाग

मंगलवार, २० अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण ३६१७–३६१८

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में संयुक्त समिति—द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ३६१७

वित्त विधेयक—असमाप्त ३६१८–३६८८

बुधवार, २१ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश—

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ३६८९

हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ३६८९

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत भण्डार विभाग द्वारा अस्वीकृत टेण्डरों सम्बन्धी वक्तव्य ३६९०

"भारत में फ्रेंच बस्तियां" नामक दस्तावेज ३६९०

वित्त विधेयक—विचार प्रस्ताव—स्वीकृत ३६९०–३७६२

बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४

याचिका समिति—पहली रिपोर्ट का उपस्थापन ३७६३

सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिशें ३७६३–३७६४

वित्त विधेयक—संशोधित रूप में पारित ३७६४–३८६८

क्रवार, २३ अप्रैल, १९५४

सदन का कार्य ३८६९–३८७०

सरकारी विधेयकों का क्रम ३८७०–३८७२

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित ३८७२–३८८४

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक—पारित ३८८४–३९०४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ३९०४

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—वादविवाद स्थगित ३९०५–३९२०

खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक—वादविवाद स्थगित ३९२०–३९३०

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—अमसाप्त ३९३०–३९४६

शनिवार, २४ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद से संदेश ३९४७–३९४८, ४०४२

हिन्दचीन के विषय में वक्तव्य ३९४८–३९५६

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९५६–३९७३

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९७३–४०३९

लुशाई पहाडी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक––पारित ४०४०–४०४२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक– विचार करने का प्रस्ताव––असमाप्त ४०४२–४०४४

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र–– ४०४५–४०४६

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या ९–पी० आई० (२५०) ५३, दिनांक १५–२–५४

कलकत्ता बन्दरगाह आयोग के लिये निर्वाचित आयुक्तों के स्थानों का पुनर्वितरण दिखाने वाला विवरण

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या १३–पी० आई० (१२४) ५३, दिनांक १५–२–५४

मद्रास बन्दरगाह न्यास के लिये निर्वाचित न्यासधारियों के स्थानों का पुनर्वर्गीकरण दिखाने वाला विवरण ४०४६–४०५२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक––पारित ४०५४–४०६९

जनता के लिये तात्कालिक महत्वपूर्ण-विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना ––

माओ-माओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के सन्देह में सामूहिक रूप से नैरोबी स्थित भारतीय आयुक्त के कार्यालय की तलाशी ४०५२–४०५४

औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक– पारित ४०६९–४१०५

संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक–– पारित ४१०५–४१०८

भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक––पारित ४१०९–४११८

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४११९

याचिका-समिति––द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ४११९

खाद्य स्थिति-याचिका प्राप्त ४११९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिये अपर्याप्त परिवहन सुविधायें ४१२०–४१२२

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित ४१२२

कारखाना (संशोधन) विधेयक––पारित करने के लिये प्रस्ताव–– असमाप्त ४१२२–४१८२

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक–– परिषद् द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४१८२

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली वर्षा ४१८३–४१८४

स्थगन प्रस्ताव—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली-वर्षा ४१८४–४१८९

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित ४१८६–४१८९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक—पारित ४१८९–४२१४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करनें का प्रस्ताव—असमाप्त ४२१४–४२६०

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति—

सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४२६१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४२६१–४३३६

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४३३७

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच कोसी परियोजना के सम्बन्ध में हुआ समझौता ४३३७

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन ४३३८

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५१–५२ वर्ष के लिये प्रतिवेदन ४३३९

तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर में शुद्धि ४३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—

माही में फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा गोली वर्षा ४३३९–४३४१

स्थगन प्रस्ताव—

फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा माही के निकट गोली वर्षा ४३४१

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४३४१–४३६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४३६०–४३६५

केन्द्र में प्रशासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली सम्बन्धी संकल्प--अस्वीकृत ४३६६–४३९१

हाथ करघा उद्योग के लिये साड़ियों तथा धोतियों के उत्पादन के संरक्षण संबंधी संकल्प--असमाप्त ४३९१–४४०२

शनिवार, १ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बुलेटिन संख्या १९ ४४०३

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ४४०३–४४०९

समवाय विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४४१०–४४९६

सोमवार, ३ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५१–५२ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ ४४९७

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत ४४९७-४५५१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५५१–४५७६

मंगलवार, ४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या १० ४५७७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५७७ ४६४८

GIPD—HS—477 L. S.—3-1-55—285

लोक-सभा

मंगलवार, २० अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

सदन-पटल पर रखे गये पत्र

विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, आदि, पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं पटल पर निम्नलिखित विवरणों को रखता हूं जिन में विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा बचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख है । अलग अलग विवरणों के सामने अलग अलग सत्रों का उल्लेख किया गया है :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ४	लोक-सभा का पांचवां सत्र, १९५३ [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७८]
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ९	लोक-सभा का चौथा सत्र, १९५३ [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७९]
(३) अनुपूरक विवरण संख्या १४	लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५३ [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ८०]
(४) अनुपूरक विवरण संख्या १५	लोक-सभा का पहला सत्र, १९५२ [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ८१]

संसद् के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में संयुक्त समिति

द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : मैं संसद् के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में संयुक्त समिति, के द्वितीय प्रतिवेदन को उपस्थित करता हूं ।

वित्त विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री सी० डी० देशमुख के निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा :

"कि वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को क्रियान्वित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) अब के बजट में ५१ करोड़ रुपये की ऐसी राशि दिखाई गई है जो व्यय नहीं कीं जा सकी । लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर सरकार गर्व कर सकती है । इस से तो यही मालूम पड़ता ह कि सरकार अपने कार्य में अकुशल है। ऐसी स्थिति वित्त मंत्रालय या प्रशासनीय अकार्यकुशलता के कारण हुई है यह तो मैं नहीं कह सकता । लेकिन जब शिक्षा के लिये नियत किये गये ८ करोड़ रुपयों में से २ करोड़ रुपये बच रहते हैं तो इससे यह मालूम होता है कि देश में शिक्षा का कार्य ठीक से नहीं चल रहा है । पुनर्वास के लिये नियत किये गये २८ करोड़ रुपयों में से ४ करोड़ रुपये बच रहना यही बताता है कि उन व्यक्तियों को रुपया नहीं दिया जा रहा है जिनको उसकी परम आवश्यकता है । मुझे आशा है कि भविष्य में इस प्रकार रुपया नहीं बच रहेगा । वित्त मंत्रालय इतना कड़ा नियंत्रण नहीं रखेगा कि मंजूर किया गया रुपया भी व्यय न हो पाये । वित्त मंत्री ने यह तो बताया है कि इतने इतने रुपये बच रहे लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसा हुआ क्यों कर । मैं आशा करता हूं कि भविष्य के बजटों में इस बात को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

अब मैं योजना को लेता हूं । योजना को कार्यान्वित होते हुए अब तीन वर्ष हो चुके हैं किन्तु इससे प्रति व्यक्ति की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है । मेरे विचार में इसका मुख्य कारण यही है कि योजना को बनाते समय आर्थिक कानूनों का तनिक भी ध्यान नहीं रखा गया है । मैं ने इन बातों को अपनी पुस्तक "री-थिंकिंग आफ आवर फ्युचर" में काफी विस्तार से समझाया है । मैं किसी 'वाद' का पक्ष लेकर नहीं बोल रहा हूं लेकिन जो स्थिति है उससे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है । वास्तव में, बात यह है कि इस योजना को राष्ट्रीय आर्थिक बजट की दृष्टि से नहीं तैयार किया गया है । राष्ट्रीय आर्थिक बजट में यह बताया जाना चाहिये कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुल कितनी आय हुई है, अर्थात्, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में । जब हमें यह आंकड़े पता होंगे तो हम आगामी वर्ष के लिये सरलता से योजना बना सकते हैं। हमें यह मालूम हो ही जायेगा कि हम ने किस क्षेत्र में कितनी प्रगति की है और कितनी करना शेष है । इस से यह कार्य बहुत सुगम हो सकता है ।

योजना की असफलता के कारणों में माननीय वित्त मंत्री ने एक कारण यह भी बताया था कि कुल राष्ट्रीय आय का केवल ४·५ प्रतिशत लगाया गया है जब कि अन्य देशों में २० से २५ प्रतिशत तक लगाया जाता है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि राष्ट्रीय योजनाओं में रुपया लगाने के लिये क्या किया जाना चाहिये । हम किस प्रकार लोगों को इस कार्य के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं ।

एक दूसरी बात यह है कि हम जो रुपया लगा रहे हैं वह लाभदायक दिशाओं में नहीं लग रहा है । डा० चार्ल्स बिटलहेम के अनुसार जब हम पांच वर्ष में ३,५०० रुपये लगाने जा रहे हैं तो हम आशा करते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय १००० करोड़ रुपये बढ़ जायेगी, अर्थात्, २८ प्रतिशत अन्य देशों के मुकाबले यह बहुत कम है । अन्य देशों में ५० से ६० प्रतिशत तक लाभ होता है ।

हम कृषि में लगभग ४,५०० करोड़ रुपये लगा रहे हैं जब कि औद्योगिक क्षेत्र में केवल १,५०० करोड़ रुपये--ठीक एक तिहाई । लेकिन यदि आप इंग्लैण्ड और

संयुक्त राष्ट्र अमरीका जैसे देशों को देखें तो वहां औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन से छः से सात गुना अधिक है । प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि हम देश का औद्योगीकरण करें । हम उद्योगों को दो वर्गों में बांट सकते हैं । एक उत्पादक वस्तु उद्योग और दूसरा उपभोक्ता वस्तु उद्योग । उत्पादक वस्तु उद्योग वे उद्योग हैं जिन की सहायता से हम उपभोक्ता वस्तुएं तैयार कर सकते हैं जैसे लोहा और इस्पात, कोयला, भारी रसायन आदि । गोलाबारूद के उद्योग को ही ले लीजिए । देश में यह उद्योग हैं लेकिन कच्चे माल की कमी के कारण वह पनप नहीं पाता है । हमें कच्चे माल को बाहर से आयात करना पड़ता है । हम चाहें तो यह कच्चा माल यहीं उपलब्ध कर सकते हैं । लेकिन इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया है । मैं पूछता हूं इसका सारा प्रबन्ध इम्पीरियल कैमिकल इन्डस्ट्रीज़ पर क्यों डाल दिया गया है। पिछले पांच या छः वर्षों में हम ने देश के उत्पादक वस्तु उद्योगों को बिल्कुल भुला दिया है । हम उपभोक्ता वस्तुएं बनाने में लगे हुए हैं । यद्यपि लोहे और इस्पात का कारखाना बनाने के सम्बन्ध में १९४८-४९ में ही योजना बना ली गई थी किन्तु उस पर अमल नहीं किया गया । मेरे विचार में इससे सरकार को लगभग ५०० करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ी है । विशाखापटनम् के जहाज़ बनाने वाले कारखाने में इस्पात की कमी के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है । वहां के अधिकारियों ने जापान से इस्पात मंगाया है । चितरंजन के इंजन कारखाने का भी यही हाल है । वहां भी इस्पात की कमी के कारण पूरी तरह से काम नहीं हो पा रहा है । अन्य बहुत से उद्योग भी हैं जिनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए । उदाहरण के लिए शीशा और साबुन उद्योग को ही ले लीजिए । सोडा एश की कमी होने के कारण यह दोनों ही उद्योग पनप नहीं पा रहे हैं । शीशे के कारखाने जितना माल तैयार कर सकते हैं वे उसका केवल एक-तिहाई कर पा रहे हैं क्योंकि सोडा एश की कमी है । शेष सामान हमें बाहर से आयात करना पड़ रहा है । हम केवल ५००० टन साबुन का उत्पादन करते हैं जब कि हम देश में लगभग इससे तिगुना पैदा कर सकते हैं । ऐसा हमें आवश्यक कच्चे माल की कमी के कारण करना पड़ता है । शीशे का सामान और साबुन हमें बाहर से मंगाना पड़ता है ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : हम साबुन का आयात नहीं करते हैं ।

श्री मेघनाथ साहा : हम करते हैं । मैं आंकड़ों से यह प्रमाणित कर सकता हूं । लेकिन मैं तो यह कह रहा था कि सोडा एश की कमी के कारण हमें ऐसा करना पड़ता है । इंग्लैण्ड में सोडा एश १३० रुपये से १६० रुपये बिकता है जब कि इम्पीरियल कैमिकल इन्डस्ट्रीज़ इसी को भारत में २५० रुपये बेचती है । मैं पूछता हूं कि इसी कम्पनी पर निर्भर रहने की क्या आवश्यकता है । मेरे विचार में यह सब इसलिए है क्योंकि हमारी आर्थिक नीति स्पष्ट नहीं है । वाणिज्य मंत्रालय की प्रतिष्ठा दिन पर दिन गिरती जाती है । मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से पूछता हूं कि वह सोडा एश उद्योग की ओर से इतने उदासीन क्यों रहे हैं ? सोडा एश पर कोई इंग्लैण्ड का एकाधिकार नहीं है । आप चाहें तो अमेरिका, जापान आदि

[श्री मेघनाद साहा]

से भी उसे खरीद सकते हैं । मेरे विचार में उपभोक्ता वस्तु उद्योग को वाणिज्य मंत्री के हाथ में रखना खतरे से खाली नहीं है । मेरा निवेदन है कि उपभोक्ता वस्तुओं के लिए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए । उत्पादन मंत्रालय और उपभोक्ता वस्तु उद्योग मंत्रालय में समुचित समायोजन होना चाहिये ।

हम योजना बनाने के गीत गाते रहते हैं । लेकिन क्या हमारी योजना में आर्थिक और सामाजिक जीवन का ख्याल रखा गया है । हर सामाजिक अर्थ व्यवस्था में यह आवश्यक है कि विनियोग, रोज़गार, श्रम, उत्पादन, आय, वस्तुओं के मूल्य आदि में परस्पर सम्बन्ध हो । लेकिन हमारी योजना में रोजगार का कोई उल्लेख नहीं है ।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ--दक्षिण) : उल्लेख किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : जिस तरह वह बोलना चाहते हैं, वह बोलें ।

श्री मेघनाद साहा : हम ने जो आयोजन किया है वह केवल सरकारी उद्योग क्षेत्र के सम्बन्ध में है । गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में हम ने कोई आयोजन नहीं किया है । हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं । जनता नौकरियों आदि के लिए इसी पर निभर करती है ।

कहा जाता है कि पूंजी न होने के कारण हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं । मेरे विचार में इस से अधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक जो चीज़ है वह हमारी टैक्नीकल आत्म-निर्भरता है । हम इन मामलों के सम्बन्ध में इस समय दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं । यह तरीका खत्म किया जाना चाहिए । हमारे देश में आज ४० वर्ष से इस्पात तथा लोहा उद्योग चल रहा है । एक समय था जबकि इसे विश्व में सब से बड़ा माना जाता था । परन्तु इसके बावजूद हम आज तक पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ तैयार न कर सके । कारण यह है कि हम ने यह काम पूंजीपतियों पर छोड़ा जिन्हें कि ज्यादातर अपने मुनाफे से ही दिलचस्पी होती है । इस समय भी हमें भारी सामान विदेशों से आयात करना पड़ता है तथा २ करोड़ रुपये शुल्क के रूप में देना पड़ता है । सोवियत रूस ने १९२८ के बाद पांच वर्ष के अन्दर ही अमरीकी तथा जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से ४१ संयंत्र स्थापित किए जो कि लगभग ५० लाख टन लोहा तथा इस्पात पैदा करते थे । हमें टैक्नीकल विषयों के सम्बन्ध में आत्म-निभर होना चाहिए ताकि अगला लोहा तथा इस्पात संयंत्र स्थापित करते समय हमारे पास अपने विशेषज्ञ हों जो कि योजना बना सकें, संयंत्र स्थापित कर सकें तथा मशीनरी आदि बना सकें ।

श्री एस० सी० देव (कचार-लुशाई पहाड़ियां) : मैं माननीय वित्त मंत्री की वित्तीय प्रस्थापनाओं का समर्थन करने के लिए उठा हूं । देश के आर्थिक विकास के लिए उन्होंने जो साहसपूर्ण नीति अपनाई है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं । औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया है । मूल्य देशनांक भी गत वर्ष के मुकाबले में गिर गया है जोकि देश के लिए एक शुभ शकुन है ।

बेकारी की समस्या का मूल कारण जानने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिय । इस सम्बन्ध में कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने का

जो निश्चय किया गया है वह एक सही उपाय है । एक लोक हितकारी राज्य में बड़े पैमाने के उद्योगों तथा छोटे पैमान के उद्योगों का समन्वय करना आवश्यक है । उद्योगपतियों को भी देश के हित में अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी उपक्रमों का केन्द्र तथा राज्यों में समन्वय करने के लिए सरकार को एक नियंत्रण संस्था स्थापित करनी चाहिये । इसे जहां सारे राष्ट्र को लाभ पहुंचेगा वहां स्वस्थ अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा ।

यह प्रसन्नता की बात है कि व्यापार अन्तर हमारे अनुकूल रहा है । खाद्य का आयात कम होने पर तथा चाय का निर्यात बढ़ जाने के परिणामस्वरूप अगले वर्ष इस सम्बन्ध नें स्थिति और भी अच्छी होगी ।

मैं एक सीमावर्ती क्षेत्र से आया हूं तथा मैं सरकार से यह प्रार्थना करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिये । वहां यातायात तथा संचार के साधन बढ़ा दिये जाने चाहिये । जहां तक मेरे क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां चाय उद्योग की स्थिति कुछ सुधर गई है लेकिन चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति खराब है । इस समय २०,००० ऐसे कमकर बेकार पडे हैं । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन की सहायता की जानी चाहिये । सरकार ने वहां चाय उद्योग के संकट का निवारण करने के लिए जो कार्यवाही की है मैं उसके लिए उनका आभारी हूं । मैं चाय बोर्ड की स्थापना का स्वागत करता हूं परन्तु इस के साथ ही मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वहां टोकाई प्रयोग केन्द्र की लाइनों के आधार पर गवेषणा केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये ।

उस क्षेत्र में कुछ और किस्म के कुटीर उद्योग भी हैं जैसे कि हथकर्घा उद्योग, बांस की चट्टाइयां बनाने का उद्योग, बर्तन तथा साबुन बनाने के उद्योग आदि । इनकी सहायता की जानी चाहिये । वहां कागज़ उद्योग, चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, कपास से बिनौला निकालने के उद्योग आदि का विकास किया जा सकता है ।

मेरे क्षेत्र में इस समय लगभग दो लाख विस्थापित व्यक्ति हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके पुनर्वास के लिए जो परियोजनाएं तैयार की गई हैं उन्हें शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

केन्द्रीय सरकार ने आज छः वर्ष पूर्व शिलांग से अगरतला तक सड़क बनाने का काम शुरू किया था । मुझे मालूम नहीं कि यह काम कब पूरा होगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होना चाहिये । इस समय त्रिपुरा, मनिपुर, कचार तथा लुशाई पहाड़ियों को शिलांग के साथ मिलाने के लिए कोई सड़क नहीं । इन स्थानों को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए शीघ्र ही एक सड़क बनाई जानी चाहिये । जहां तक करीमगंज का सम्बन्ध है यह एक बड़ा भारी व्यापार केन्द्र बन रहा है । यहां एक ओर कलकत्ता से स्टीमरों द्वारा माल लाया जाता है तथा दूसरी ओर मनिपुर, त्रिपुरा तथा लुशाई पर्वतों का माल स्टीमरों द्वारा कलकत्ता भेजा जाता है । पहली

[श्री एम० सी० देव]

सीमावर्ती भारतीय चौकी तो करीमगंज में ही स्थित है । वहां के व्यापारियों को यह शिकायत है कि स्टीमर के चलने तथा ठहरने आदि से वहां भूमि का कटाव होता रहता है जबकि नदी का दूसरा तट जोकि पाकिस्तानी क्षेत्र है मिट्टी से भरा जा रहा है । इस स्थान के सामरिक महत्व को दृष्टि में रखते हुए स्टीमर स्टेशन किसी और स्थान पर हटाया जाना चाहिये ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : श्रीमान, यह एक आश्चर्यवत बात है कि टेलको कम्पनी जोकि इंजन बनाने का काम करती थी अब एक जर्मन फर्म के सहयोग से दूसरी कम्पनियों को मैदान से हटा कर मोटर गाडियां आदि बनाने का काम शुरू करन लगी है । यह एक आकर्षक विषय है जिसकी जांच की जा सकती है । परन्तु यहां में अपनी टिप्पणी वित्त विधेयक तक ही सीमित रखता हूं ।

स्पष्टत: हम इस समय उस वित्त विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं जोकि २७ फरवरी को मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था । उन्होंने २२ मार्च को उस में कुछ फेर बदल किये तथा कल फिर कुछ और संशोधन किये । यह एक अच्छी बात है कि उन्हें जनमत के सामने झुकना पढ़ा है परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या वित्त व्यवस्था उनके काबू से बाहर निकल गई है। यदि उन्हें इस में कुछ संशोधन करने थे तो वह कुछ समय और ठहर कर द्वितीय अवस्था पर ऐसा कर सकते थे । इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कुछ संशोधन जिनकी सूचना दी गई है तथा जो क्रमपत्र पर दिए गए हैं, बेकार हो गए हैं । यह निस्संदेह एक विचित्र बात है ।

बजट पर हुई साधारण चर्चा का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने मेरे द्वारा उठाए गये कुछ प्रश्नों के सम्बन्ध में कहा था कि उनका उत्तर तत्काल ही नहीं दिया जा सकता है तथा वह बाद में सविस्तर उत्तर दे देंगे । श्रीमान्, मैं कई सप्ताह तक प्रतीक्षा करता रहा, किन्तु मुझे आज तक उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है । माननीय मंत्री का यह रवैया सराहनीय नहीं है । उनका रवैया कुछ अजीब सा हो रहा है ।

माननीय मंत्री ने ११ दिसम्बर, १९५३ को सदन में यह आश्वासन दिया था कि वह सार्वजनिक निगमों पर संसदीय नियंत्रण रखने के सम्बन्ध में या तो एक विशेष विधेयक प्रस्तुत करेंगे या समवाय विधि में कोई संशोधन करेंगे । गत शनिवार को भी मैं ने उन का ध्यान इस ओर दिलाया । मैं जानना चाहता हूं कि अब जब समवाय विधेयक पर चर्चा होने वाली है, क्या मंत्री जी दिये गये आश्वासन के अनुसार एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे अथवा एक नया विधेयक प्रस्तुत करेंगे ।

गत अवसर पर मैं ने बजट में दिये गए कुछ आंकडे तथा विवरण पेश करते हुए कहा था कि मुझे उन्हें समझने में कठिनाई आ रही है । आज योजना की कार्यप्रगति के सम्बन्ध में एक नई रिपोर्ट परिचालित की गई है । उसके बारे में भी मुझे यह कठिनाई पेश आ रही है । मैं माननीय मंत्री से इस सिलसिले में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

विवरण संख्या ३ के सम्बन्ध में मुझे कुछ कठिनाई है । अनुमान यह लगाया

गया है कि देशीय साधनों से योजना की कालावधि में १,२५८ करोड़ रुपया प्राप्त किया जायगा। परन्तु विवरण में अब कहा गया है कि केवल १,१२३ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। इस तरह से मूल प्राक्कलन में १३५ करोड़ रुपये की कमी हो जाती है। जहां तक चालू राजस्व का सम्बन्ध है वर्तमान आंकडों के अनुसार यह ५४२ करोड़ रुपया प्राप्त होगा जब कि मूल प्राक्कलन के अनुसार यह ५६८ करोड़ रुपये था। इस तरह से यहां भी २६ करोड़ रुपये की कमी हो जाती है। राज्य सरकारों की स्थिति और भी अस्पष्ट है। उन में से अधिकांश घाटे पर चल रही हैं। हो सकता है कि केन्द्र के सम्बन्ध में स्थिति कुछ संतोष-जनक हो परन्तु राज्यों के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है। मूल प्राक्कलन के अनुसार राज्यों से ४०८ करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा थी परन्तु ताजे विवरण के अनुसार अब केवल ३२५ करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है। इस तरह से यहां भी ८३ करोड़ रुपये की कमी हो जाती है।

रेलवे आय से ११७ करोड़ रुपया प्राप्त किया जायगा। जबकि मूल प्राक्कलन के अनुसार १७० करोड़ रुपथे प्राप्त होना था। यहां भी ५३ करोड़ रुपये की कमी होती है।

उधार के सम्बन्ध में आंकडा प्राक्कलित आंकडे से ३८ करोड़ रुपये अधिक दिखाया गया। छोटी बचत से २७० करोड़ प्राप्त हुआ है। अर्थात जहां तक उधार का सम्बन्ध है प्राक्कलित राशि में ४५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने कल ही जिस राष्ट्रीय ऋण का श्री गणेश किया हैं उसका परिणाम उत्साह-जनक रहा हैं। मैं निवेदन करना चाहता हुं कि उधार लेने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अच्छी तरह परीक्षण किया जाना चाहिये। राज्यों के सम्बन्ध में उधार प्राप्त होने का नया प्राक्कलन १३१ करोड़ रुपये का है जबकि मूल प्राक्कलन केवल ७९ करोड़ रुपये का था। मैं समझता हूं कि ५२ करोड रुपये की यह वृद्धि कुछ असाधारण सी है।

डिपाजिटों तथा निधियों के सम्बन्ध में प्राक्कलित राशि में १०१ करोड़ रुपये की कभी हुई है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से स्थिति का एक स्पष्ट चित्र चाहता हूं।

विदेशी सहायता में भी २९० करोड़ रुपये की कमी दिखाई गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गेहूं के विक्रय से जो धन उपलब्ध होगा क्या उसे विदेशी ऋण के रूप में दिखाया जायगा तथा यदि बिखाया जायगा तो किस शीर्ष के अन्तर्गत।

गत वर्ष माननीय मंत्री ने बताया कि केन्द्र ने २५० करोड़ रुपया उपलब्ध किया है जबकि इसे ७२६ करोड़ रुपया उपलब्ध करना था, इसी तरह से राज्यों ने ५३२ करोड़ रुपये में से केवल १०१ करोड रुपया उपलब्ध किया था। अर्थात पहले दो वर्षों में केवल ३५३ करोड रुपया उपलब्ध किया गया था जबकि प्राक्कलन १२५८ करोड़ रुपये का था। फिर उस समय यह कहा गया कि तीन वर्षों अर्थात पिछले वर्ष, इस वर्ष तथा अगले वर्ष ६०० करोड़ रुपया उपलब्ध किया जायगा। दूसरे शब्दों में कुल

[डा० लंका सुन्दरम्]

९५३ करोड़ रुपया उपलब्ध होगा। वर्तमान विवरण में उन्होंने कहा है कि पांच वर्षों में यह ११२३ करोड़ रुपया होगा अर्थात सामान्य बजट साधनों के अलावा १८० करोड और उपलब्ध होगा हमें प्रसन्नता होगी यदि माननीय मंत्री हमें बता सकेंगे कि यह वृद्धि कैसे सम्भव है।

मुझे आशा है कि मंत्री जी हमारी इन शंकाओं का समाधान करेंगे। बजट विवरण समझने में प्रायः कठिनाई पेश आती है। आशा है कि वह इस बात की ओर भी ध्यान देंगे कि आंकडा संकलन में कोई जल्दबाज़ी न हो तथा विवरण में परस्पर विरोधी बातें न जाये।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस—पूर्व) : मैंने माननीय सदस्यों के कल के और आज के भाषण सुने; इस संबंध में साम्यवादी दल के उपनेता ने जो बातें यहां कहीं उन को मैंने बहुत ध्यान से सुना और मुझे बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि उनके भाषण में बहुत सी बेमेल बातें थी। इस दल के कुछ सदस्यों की नीति जनता के एक वर्ग के खिलाफ़ दूसरे वर्ग को भड़काना रही है; कभी वे भारतीय पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं तो कर्मचारियों और सरकार को नीचा गिरा देते हैं और फिर कभी कर्मचारियों के एक वर्ग को ऊंचा उठाते हैं और उनका समर्थन करने लगते हैं। कुटीर उद्योगों के मुकाबले में वे बड़े पैमाने के उद्योगों पर ज्यादा ज़ोर देते हैं और इस तरह कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी गड़बड़ स्थिति हो जाती है। मैं समझता हूं कि जनता के दो वर्गों में द्वेष की भावना उत्पन्न करना या उन्हें एक दूसरे के खिलाफ़ उकसाना बहुत बुरा है। हमारा देश वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ है और इस तरह की बातों से हम अपने देश के हित में बहुत बुरा कर रहे हैं। हमारे यहां ३६ करोड़ लोग रहते हैं और हज़ारों वर्षों से हम लोग परतंत्र रहे हैं। शताब्दियों से हमारे यहां के लाखों निवासी गरीबी की हालत में दिन काटते रह हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी समस्यायें दो या तीन वर्ष के अन्दर सुलझ सकती हैं? यह एक बहुत बड़ा काम है जिसको पूरा करने के लिये हमें बहुत समय चाहिये। जब तक हम सच्चे देशभक्तों के रूप में कार्य नहीं करेंगे, हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते।

आज हमारे सामने घरेलू उद्योगों की समस्या है। घरेलू उद्योग दिन पर दिन खत्म होते जा रहे हैं और इन पर निर्भर करने वाले हज़ारों और लाखों लोग कठिनाई का सामना कर रहे हैं। हम लोग बड़ी बडीं मिलों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं और छोटे पैमाने के उद्योगों की चिन्ता नहीं करते; उनके प्रति सहानुभति रखने वाला यहां कोई नहीं है। हम बड़े उद्योगों को रक्षण देते रहे हैं। और इसके अलावा हमने उन्हें आर्थिक सहायता तथा अन्य रियायतें भी दी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है जो हम घरेलू उद्योगों को रक्षण ही नहीं बल्कि एकाधिकार तक क्यों न दे दें। यदि उपभोक्ताओं को कुछ ज्यादा मूल्य देना पड़े तो क्या हर्ज है, लाखों और करोड़ों लोगों की भलाई के लिये उन्हें इतना करना चाहिये। परन्तु हम बडे बडे पूंजीपतियों की जब ही क्यों भरे जा रहे हैं? क्या यह सच नहीं

है कि यह रुपया सट्टेबाज़ी, चोरबाजार और विलास-वस्तुओं के लिये काम में लाया जाता रहा है ? एक ओर ये लोग आमोद-प्रमोद का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और दूसरी ओर उनके पड़ौस में लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। ऐसी हालत कब तक चल सकती है ? इसको हमें खत्म करना ही होगा और इसके लिये हमें कुछ उपाय करने ही होंगे। हमें विदेशी पहनावे को छोड़ना होगा और विदेशी माल का प्रयोग कम करना होगा। हमें कुटीर-उद्योगों के लिये कुछ क्षेत्र रक्षित करने चाहियें जिसमें उनका एकाधिकार हो। जब छोटे छोटे किसानों और छोटे छोटे ज़मीदारों तक ने अपनी सम्पत्ति के संबंध में अधिकारों का त्याग कर दिया है तो फिर इन थोड़े से लोगों को क्यों अतुल धन राशि इक्ट्ठी करने दी जाय ?

इसी कारण मैं उत्पादन शुल्क का स्वागत करता हूं। परन्तु मैं यह नहीं जानता कि साबुन में ५० या १५० टन साबुन की जो छुट दी गई है उसे लीवर ब्रादर्स, टाटा और स्वास्तिक जैसी बड़ी बड़ी कम्पनियों के लिये भी क्यों लागू किया गया है। जब जूते और अन्य वस्तुओं के लिये फैक्टरी में लगे कर्मचारियों की संख्या को आधार माना गया है तो फिर वही बात साबुन के मामले में क्यों नहीं रखी गई है ? मैं वित्त मंत्री से इस विषय पर ध्यान देने के लिये कहूंगा। मैं मानता हूं कि यह एक छोटी सी बात है, परन्तु फिर भी यह नीति का प्रश्न है और हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम निश्चय ही कुटीर-उद्योगों को प्रोत्सहान देंगे।

वित्त मंत्री ने करारोपण नीति के संबंध में यह कहा कि आयकर में जो छूट दी गई है उससे निम्न मध्य वर्ग तथा मध्य वर्ग के लोगों को बहुत फ़ायदा हो जायेगा ; मैं उनकी इस बात से असहमत हूं। वास्तव में, मुझे तो तब संतोष होता जब अधिक आय वालों के प्रति वह और कड़पन से काम लेते और बड़े बड़े करोड़पतियों की आमदनी में से और ज्यादा बड़ा भाग कर के रूप में वसूल करते। बजाय इसके कि थोड़ी आय वाले लोगों से बिक्री-कर आदि करों को वसूल किया जाए और उन पर खर्च का बोझ लाद दिया जाए, हम बड़े बड़े पैसों वालों से कर क्यों न लें और उनकी बढ़ती हुई आमदनी पर क्यों न कर लगायें ?

मैं एक बात सामुदायिक परियोजनाओं तथा अन्य योजनाओं के बारे में कहूंगा। व्यक्तिगत रूप से, मुझे बाहर के देशों से सहायता मांगना पसन्द नहीं है। विदेशी सहायता पर निर्भर करने की प्रवृत्ति को जहां तक संभव हो दबाया जाना चाहिए। इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में हम विदेशी विशेषज्ञों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। वास्तव में ये लोग पुस्तकों का ज्ञान तो काफ़ी रखते हैं परन्तु जहां तक उस ज्ञान को व्यावहारिक रूप देने का प्रश्न है, वे इतने योग्य नहीं होते। हमारे यहां के लोग हमारे देश के बारे में ज़्यादा ज्ञान रखते हैं ; इसलिए हमें चाहिए कि हम विदेशी विशेषज्ञों के चक्कर में न पड़ कर अपने यहां के लोगों की सेवाओं का लाभ उठायें। विदेशी सहायता लेने के साथ साथ हमें बहुत सी बातें और माननी पड़ती हैं, जो आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए लाभप्रद नहीं होतीं। हमारी सब से बड़ी सम्पत्ति हमारे देश के ३६ करोड़ व्यक्तियों की शक्ति है और हमें इसी शक्ति का लाभ उठाना चाहिए। मैं यह देखना चाहता हूं

[श्री टी० एन० सिंह]

कि हमारे हर गांव में कोई न कोई उद्योग हो जिसमें गांव के लोग काम कर सकें और सुख से जीवन-निर्वाह कर सकें।

राष्ट्रीय ऋण के संबंध में मैं वित्त मंत्री को यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें रुपया लगाने के लिए और ज़्यादा सुविधाएं दी जायें ; इसे केवल खज़ानों और रिज़र्व बैंक तक ही सीमित न रखें। आप चाहते हैं कि साधारण व्यक्ति भी इसमें पांच या दस रुपये लगा कर हिस्सा लें, तो इसके लिए आपको कुछ व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं आपको बता दूं कि इस समय न्यूनतम अंशदान १०० रुपये है ।

एक माननीय सदस्य : आपको इसे कम करना होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : इसे ५० या दस रुपये नहीं किया जा सकता, परन्तु यदि कोई व्यक्ति इसमें हिस्सा लेने में असमर्थ है तो वह राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र खरीद सकता है जो खज़ानों को छोड़ कर और सब जगह मिल सकते हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जानता हूं कि वे राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र ले सकते हैं। वास्तव में मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस ऋण-योजना में भाग लेने की इच्छा तो रखते हैं परन्तु पैसे के अभाव से ले नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि उनकी इस इच्छा का और उनकी इस मनोवृत्ति का किसी न किसी प्रकार से लाभ उठाया जाये। मैं वित्त मंत्री जी से इस पर विचार करने के लिए कहूंगा।

श्री जजवाड़े (सन्थाल परगना व हजारीबाग़) : उपाध्यक्ष महोदय, कल इस बहस को आरम्भ करते हुए विरोधी दल के उपनेता महोदय ने मानभूमि के ड्रामे से शुरू किया। लेकिन कोई भी ड्रामा बिना गाने के रोचक नहीं होता इसलिए मान-भूमि-टूस गान उस में जोड़ दिया। यद्यपि उसमें कुछ बातें ऐसी थीं जो कि उचित रूप से इस हाउस में डिसकस नहीं की जा सकती थीं लेकिन वह अपने ड्रामे को रोचक बनाने के लिए उसमें उस गीत को ले आये। महोदय, तुसू सांग के नाम पर जो बात यहां प्रचारित की जा रही है वह भ्रमपूर्ण है। तुसू सांग एक लोक-गीत है और उस सांग की आड़ में सरकार को, सरकारी कर्मचारियों को और जजों तक को गाली देने की चेष्टा की गई है । इस का न्याय्य रूप से वही वर्ग समर्थन कर सकते हैं जो वैध सरकार के निश्चित रूप को नष्ट करने के लिए इस तरह का प्रचार करने का प्रयास करते रहते हैं। महोदय, मेरे पास तुसू सांग की किताब है। यदि कोई भाई इसका प्रमाण चाहें तो मैं उसमें से कुछ भाग उद्धृत कर के उसको सुना दूंगा। बात यह है कि बाउंडरी कमिशन की नियुक्ति के बाद इस तरह का प्रचार शुरू हुआ है । मुझे कोई विरोध नहीं कि कोई प्रचार करे। हर प्रदेश अपने अपने मत को बाउंडरी कमिशन के आगे रखने के लिए स्वतन्त्र है। मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं कि बंगाल सरकार और बिहार सरकार जहां कि दोनों जगह कांग्रेसी मंत्रीमंडल है, आपस में बैठकर इस प्रश्न का निर्णय कर लें। लेकिन इस प्रकार से प्रचार करना जैसा कि किया जा रहा है इससे द्वेश पैदा होता है। इसलिए मैं

इसका विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भ्रमपूर्ण बातों को स्पष्ट कर देना हाउस के प्रति मेरा कर्तव्य है। मेरे पास कागजात भी मौजूद हैं जिनसे मैं यह प्रमाणित कर सकता हूं कि तुसू सांग मेले में गाने के लिए नहीं ले जाया गया जहां कि इस लोक गीत से लोगों का मनोरंजन होता। लेकिन इस गान का जुलूस लेकर कचहरी और थाने गए जहां प्रासेशन ले जाने के लिए लाइसेंस (परमिट) भी नहीं लिया गया था। जब इस कम्यूनिस्ट वर्ग द्वारा इसकी पुष्टि होती है तो मुझे कोई आपत्ति भी नहीं जंचती क्योंकि मैं जानता हूं कि :

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षं
स तं सदा निदन्ति नात्र चित्रम्।

यथा किराती करिकुम्भ लब्धा
मुक्तां परित्यज्य विभर्त्ति गुञ्जाम्॥

यह लाल पसन्द वाले हैं। इनको सादी चीज़ पसन्द नहीं आती। इनको सादी बातों से चिढ़ हो जाती है। इनको सादी टोपी पसन्द नहीं आती। इसलिए यह लाल पसन्द वाले गजमुक्ता को छोड़ कर गुंजा को ही पसन्द करते हैं। उनकी इस प्रकार की पसन्द के लिए हमें क्या आपत्ति हो सकती है। वह अपनी पसन्द से चलें और हम अपनी पसन्द से चलें। महोदय, यह बातें मैं अपने मंत्री महोदय की खुशामद के लिए नहीं कहता। मैं तो किरात देश का रहने वाला हूं और किरात की नीति से ही अपनी बात को कहता हूं।

वहां यह कहा गया है :

क्रियासु युक्तैर्नृप ! चारुचक्षुषां
न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः।

अपने नियुक्ता की वंचना नहीं करते वह मीठी बातों से धोका नहीं देना चाहते हैं और वे तो यहां तक कहते हैं

न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं।
प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः॥

हितैषिणी को झूठ बोलकर उन्हें वह चाटुकारिता में नहीं भुलाना चाहते। इसलिए मैं श्री मुखर्जी के वक्तव्य के ढंग का विरोध कर रहा हूं और मैं कोई चाटुकारिता की बात नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कुछ ऐसी बातें भी रखूंगा जो जनता की राय और रुचि के मुताबिक हैं और मेरी समझ में उन बातों का जानना हमारे अर्थ मंत्री महोदय के लिए नितान्त आवश्यक है। मैं जानता हूं कि हमारे अर्थ मंत्री महोदय संस्कृत के बहुत हिमायती हैं और ये समय २ पर हमें उपदेश दिया करते हैं :

पुष्पं पुष्पं विचिन्वीत मूलच्छेदं न कारयेत्।
मालाकार इवारामे न चांगारकारवत्॥

पुष्प से रस लेना चाहिए, मधु कैसे संग्रह करना चाहिए, मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि फलवान पुष्प को तोड़ने से न तो पुष्प ही रहे और न फल ही रहेगा। और कहीं ऐसा न हो कि आप कच्चे फल को तोड़ दें तो फिर उस फल से न बीज होगा न अच्छा रस ही होगा। हमारे अर्थ मंत्री महोदय को संस्कृत नीति सम्बन्धी पूरा ज्ञान है और उन्हें चाहिए कि टैक्स उनसे ही वसूलना चाहिए जिनके पास पैसे हों, उन से ही टैक्स वसूल करने की नीति उचित है और होना यह चाहिए कि जिनके पास पैसा नहीं है उन पर उसको खर्च किया जाना चाहिये, उन्हें वसूलते और खर्च करते समय इस नीति को बर्तना चाहिये। मैं आपको वहां की बात बतला रहा जहां से मेरा खुद का सम्बन्ध है। कुछ

[श्री जजवाड़े]

दिन पहले लोकल फाइनेन्स इनक्वायरी कमेटी आरम्भ हुई थी और जब इनक्वायरी कमेटी होती है तो उस पर बहुत सा खर्च किया जाता है और लोगों की आशाएं बढ़ जाती हैं । मैं अपने प्रान्त में जिस जगह की म्युनिसपैलटी का चेयरमैन था (वैद्यनाथ धाम देवघर) उसने भी टर्मिनल टैक्स के बारे में एक आवेदन पत्र दिया था, मैं ने रेलवे मिनिस्टर से रिप्रेज़ेन्टेशन किया था, हमारी प्रान्तीय गवर्नमेंट ने उसका समर्थन किया और हमारे प्रान्त के एम० पीज़ ने रेलवे मिनिस्टर के पास रिप्रेज़ेन्टेशन दिया, उनके आदेश के अनुसार फाइनेंस से ही पहले मूव करना था, हमने तदनुसार फाइनेंस को भी इस सम्बन्ध में मूव किया लेकिन हमारे अर्थ मंत्री महोदय जी केन्द्रीयकरण अर्थ नीति पर जोर देते हैं और समझते हैं कि इसके द्वारा हमारे सब काम ठीक हो जायेंगे, तो मैं उन से इस बात में सहमत नहीं हो सकता, हमें विकेन्द्रीयकरण अर्थ-व्यवस्था को भी अर्थ नीति में स्थान देना चाहिये । यदि आप की लोकल बाडीज़ कठिनाई में रहती हैं और उनके पास उचित व्यवस्था पैसे की नहीं रहती तो उनकी कठिनाई बढ़ जाती हैं और इसी आशय से एक वर्ष पहले मैं ने फाइनेंस मिनिस्टर को आवेदन पत्र दिया था जिस समय टेक्सेशन इनक्वायरी कमेटी नियुक्त भी नहीं हुई थी ।

मैं ने उस समय उनको यह दरख्वास्त दी थी, लेकिन इनक्वायरी कमेटी के नियुक्त होने के बाद यह जवाब मिला कि इस पर टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी के फैसले के बाद विचार होगा । मुझे तो आश्चर्य होता है यह सुनकर कि पहले तो यह कहा गया कि लोकल बाडीज़ इनक्वायरी कमेटी के फैसले के बाद इस पर विचार किया जायगा, फिर कहा गया कि टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी के फ़ैसले के बाद होगी । मुझे तो ऐसा लगता है कि साधारण लोगों की आवाज़ हमारे मंत्री महोदय के कानों तक नहीं पहुंचती है, उन का ख्याल कम किया जाता है । मैं अर्थ मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान दें । यह क्या बात हुई कि वैद्यनाथ धाम में पिलग्रिमों पर टर्मिनल टैक्स तो टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी के फैसले तक बन्द रहे, लेकिन आप ने आर्डिनेंस के द्वारा इलाहाबाद में कुंभ के अवसर पर टर्मिनल टैक्स (पिलग्रिमेज) लगा दिया । मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जब एक टैक्सेशन के बारे में नियमित रूप से आए हुए परचे पर विचार करने में तो आप को दिक्कत पड़ती है लेकिन अनियमित रूप से आप दूसरी जगह उसको एक आर्डिनेंस के द्वारा लगा देते हैं । मेरा ख्याल है कि हम लोग भारत के बहुत ही पिछड़ी हुई जगहों के रहने वाले हैं, वहां के रहने वालों की आवाज सरकार के कानों तक कम पहुंच पाती है और यही कारण है, कि वह आज भी नेगलेक्टेड पडे हुए हैं, मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे मंत्री महोदय उन इलाके के लोगों की ओर ध्यान देंगे और उन के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे । मैं एक, दो बात और भी कहना चाहता हूं । मैं ने अभी आप के सामने जिक्र किया कि इस गवर्नमेंट की आफिश्यल पालिसी और प्लानिंग का शुरू से सम्बन्ध रहा है और एक वेलफेयर स्टेट में पिछड़े लोगों के क्षेत्र में काम करना इस पंचवर्षीय योजना

का प्रमुख अंग है, परन्तु मुझे दुःख होता है जब मैं देखता हूं कि दामोदर वेली प्रोजेक्ट पर संथाल परगना और छोटे नागपुर के इलाके से करीब एक लाख एकड़ जमीन बंगाल के लिए डुबोई जा रही है। और भी संथाल परगने की मोर प्रोजेक्ट में वह जमीन डुबोयी जा रही है जिस में पूरे ५३ गांव हैं और आंशिक रूप से ७९ गांव हैं और वहां पर ८३०० संथाल और अन्य लोगों के घर आवाद हैं और २१ हजार की आबादी वहां पर बसती है, २७ हजार एकड़ जमीन जब हम प्रोजेक्ट के मातहत बंगाल के लिए डुबोने जा रहे हैं तो मैं पुछूगा कि सरकार ने वहां जो आदिवासी बसते हैं और अन्य लोगों के घर बसे हुए हैं उन के लिए आपने जमीन और सैलाबी का क्या इंतजाम किया है ? पिछली प्लानिंग के समय भी इन पिछड़ हुए भागों के लिए जो इन्तजाम बजट में था, मंत्री महोदय देखकर बतलायें कि उन्होंने उसमें से कितना पैसा इन लोगों की दशा सुधारने के लिए अब तक लगाया है ? चूंकि ऐसे भागों में काम करने में कठिनाई पेश आती है इसलिए ऐसे भागों के काम का प्रोग्राम गड्डे में फेंक दिया जाता है, वहां के रहने वालों की आवाज उन के कानों तक नहीं पहुंच सकती और इस लिए वे भाग बिलकुल नेगलेक्टेड छोड़ दिए जाते हैं। यदि सरकार की मंशा ऐसे भागों की अवहेलना करना है तो मैं नहीं समझता कि हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर कैसे लोगों में इस पंचवर्षीय योजना के लिए उत्साह पैदा करें ? क्या हम उनसे यह बतलायें कि प्लानिंग में तुम्हारे लिए केवल यह आया है कि तुम्हारी एक लाख एकड़ जमीन को बंगाल की खातिर डुबो दिया जायगा और सरकार ने उस भाग के लिए कोई खास काम का प्रोग्राम जनता के सामने नहीं रक्खा है ? मैं अर्थ मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन बातों पर जरा ध्यान दें तो पिछड़े लोगों का कल्याण होगा।

शिक्षा की बडी दयनीय अवस्था वहां पर है, एक लाख की आबादी वाले क्षेत्र के लिए सिर्फ एक मिडिल स्कूल की व्यवस्था थी। वह भी मेरे चेयरमैन के काल में जिला बोर्ड से किया गया था। आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि शिक्षा का वहां पर प्रसार होना चाहिये और वहां पर और अधिक स्कूलों के खोलने का इन्तजाम होना चाहिये, मैं तो सुझाव दूंगा कि उनके लिए कम्पलसरी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये जबकि उन से भी पैसा लिया जाता है, इसलिये शिक्षा का वहां पर प्रसार करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा वहां का जो सवाई ग्रास का उद्योग है वह भी आज चौपट हो गया है। आज उसका उत्पादन काफ़ी घट गया है। आज हम जो हर क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति अवहेलना बर्तती देखते हैं तो यकीन मानिये उस अवहेलना को देख कर किसी भी प्राणी का हृदय व्यथित हुए बिना नहीं रह सकता। मैंने इन पिछड़े हुए प्रदेशों के लोगों के सम्बन्ध में एक प्रश्न भी किया था, और मैं फिर भी व्यापार मंत्री से आग्रह करूंगा कि इसकी जानकारी पूरी तरह से करायें, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस सिवाई ग्रास के काम की जो हालत है मैं उसको बढ़ाने के सम्बन्ध में खोज करूंगा और फिर आप को बतलाऊंगा, लेकिन उन्होंने अभी तक उस सम्बन्ध में नहीं बतलाया। इस बार

[श्री जजवाड़े]

उसकी उत्पत्ति क्या हुई । पहले साढ़े तीन लाख मन उत्पत्ति थी, साढ़े तीन लाख मन के ऊपर प्रत्येक मन के पीछे पांच सेर और ज्यादा तुलता था ।

अगर इस प्रकार से सरकारी हस्तक्षेप से और बाहरी व्यवसायियों के द्वारा पिछड़े वर्ग को किसी तरह की हानि पहुंचती है तो यह उचित और उपादेय नहीं है ।

लाख इण्डस्ट्री के सम्बन्ध में संथाल परगने का जिक्र हुआ था, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

स्वास्थ्य के बारे में क्या कहूं ? मैं पानी के बारे में कहना चाहता हूं । मैं वहां की हालत आपसे क्या कहूं ? वहां पर पीने लायक पानी का बिलकुल अभाव है । पानी जो कि स्वास्थ्य का मूलाधार है अगर वही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा । मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये ।

इस के बाद पत्थर का व्यापार है । पत्थर का व्यापार हमारे यहां एक खास रोजगार था, लेकिन उस पर भी प्रतिबंद है । मोकामा ब्रिज जो बन रहा है, उसमें संथाल परगने का पत्थर नहीं लग सकता । पहले तो यह मनाही थी कि संथाल परगने का मजदूर भी नहीं जायेगा लेकिन अब सिर्फ वहां का पत्थर नहीं जा सकता । म नहीं समझता कि जिस देश में खाली पत्थर है, पत्थर तोड़ कर जहां के लोग अपनी जीविका चलाते हैं, उस पर प्रतिबन्ध लगा कर सरकार क्यों बाधा डालती है । मेरा ख्याल है कि सरकार को इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिये । प्लैनिंग के आधार पर पिछड़े वर्ग की उन्नति का जो विधान है, उस में विशेष रूप से उस को सैलावी के लिए इन्तजाम करना चाहिये जिस से लोगों को खाने की कोई शिकायत न रहे । मैं समझता हूं कि मैं ने अपनी बातें स्पष्ट रूप से आप के सामने रख दी हैं ।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक): सब से पहले मैं श्री टी० एन० सिंह की इस बात का उत्तर देना चाहता हूं कि विरोधी दल के सदस्य हमेशा आलोचना करते रहते हैं और विदेशों की ही चर्चा करते हैं । मैं श्री टी० एन० सिंह से कहूंगा कि विरोधी दल के लोग जैसी जो बात होती है वही कहते हैं; वे सरकारी दल के सदस्यों की भांति सरकार के हरेक अच्छे और बुरे काम की प्रशंसा नहीं कर सकते । हमारे अपने अलग अलग विचार और दृष्टिकोण हैं । मैं स्वयं इस बात के विरोध में हूं कि सरकार के कार्यों की आलोचना करते समय बाहर के देशों की चर्चा की जाये और वहां के उदाहरण दिये जायें । हरेक देश की स्थिति अलग होती है और उसी को ध्यान में रख कर वहां की सरकार की प्रशंसा अथवा आलोचना की जानी चाहिये ।

मैं पहले भी कह चुका हूं कि यद्यपि मेरा दल पंचवर्षीय योजना की प्रशंसा नहीं करता और न ही उसका पूरा पूरा समर्थन करता है, परन्तु मैंने व्यक्तिगत रूप में इसमें हमेशा से पूरा पूरा सहयोग दिया है । अपने राज्य में, और यहां भी मैंने मंत्रियों का ध्यान विभिन्न परियोजनाओं की ओर दिलाया है; उड़ीसा की सरकार

को तो मैंने यह चुनौती भी दी थी कि मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं कि वहां योजना एवं विकास का सारा रुपया कांग्रेस की शाखायें खोलने में और उसे मज़बूत बनाने में लगाया जा रहा है। मैंने यह भी कहा था कि वहां के मंत्री विकास कार्य करने के लिये बिल्कुल अयोग्य हैं। मेरी इस चुनौती का आज तक कोई उत्तर नही दिया गया है।

यह कहना गलत है कि हम लोग सरकार की हर एक बात की बुराई करते हैं। हम लोग देश के निर्माण-कार्य मे यथा संभव सहयोग देने की इच्छा रखते हैं और इस लिये मैंने इस विषय म पूरा सहयोग दिया भी, परन्तु मुझे खेद है कि मेरा सहयोग प्राप्त नहीं किया गया। दो वर्ष पूर्व मैंने यह कहा था कि इन योजनाओं पर जो पैसा लग रहा है वह बेकार जा रहा है और आज भी मैं अपने इन शब्दों को दोहराता हूं कि यह सारा रुपया व्यर्थ जा रहा है।

हमारे यहां के मंत्री इस प्रकार की बातें बहुत करते हैं कि अमुक कार्य के लिये निश्चित राशि व्यय कर दी गई, शिक्षा के लिये इतना खर्च कर दिया गया है और अमुक कार्य के लिये इतना। परन्तु क्या आप कभी यह सोचते हैं कि इस रुपये को खर्च करने के बाद क्या नतीजा निकला है, हमारे काम में कहां तक प्रगति हुई है हमें इस बात के जानने की ज्यादा ज़रूरत है कि जिस काम के लिये जितने रुपये का हमने अपना लक्ष्य बनाया है उसमें कहां तक प्रगति हुई है और कितनी सफलता मिली है।

जिस समय लक्ष्य की बात की जाती है, मुझे चीनी के उत्पादन की बात याद आ जाती है। पंचवर्षीय योजना में चीनी के उत्पादन के लिए एक निश्चित परिमाण में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था। १९५१-५२ में इस से अधिक उत्पादन हुआ, और हमारे मंत्रियों ने ज़ोर ज़ोर से यह कहना शुरू किया कि अब लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ है। और अब देखिए कि विगत दो व र्ों में क्या हुआ है। चीनी की कमी पड़ गई है। विदेशों से हमने जो चीनी मांगी थी, वह हमारे पास नहीं पहुंची है, और परिणामत: कलकत्ता में चीनी के भाव में ६ रुपये प्रति मन की वृद्धि हुई है। इतना होते हुए भी घटिया चीनी मुहैया की जाती है। भला क्यों? योजना बनाने वालों ने वास्तविकता को नहीं समझा है। मैं कई बार कह चुका हूं कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में चीनी का अधिक उत्पादन हो सकता है क्योंकि दक्षिण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध की जलवायु होने के कारण गन्ने के अधिक उत्पादन के अनुकूल है। पूंजीपतियों ने किन्हीं विशेष कारणों से उत्तर भारत को ही चीनी उद्योग का केन्द्र बना लिया है, सरकार को चाहिए कि दक्षिण भारत में गन्ने कीखेती करें और चीनी के कारखाने खोलें, और उत्तर भारत में भूमि को अनाज की खेती के काम में लायें, इससे दोनों ओर की कमी पूरी हो जायगी। खाली सचिवालयों में बैठ कर आंकड़े बना कर आत्मतुष्ट होने से काम नहीं चल सकेगा, और देश की समस्याओं को हल नहीं किया जा सकेगा, यह ठीक है कि हमारे देश में कई बहुप्रयोजनीय परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। किन्तु मेरा विश्वास है कि बहुत सी विकास योजनाएं बिल्कुल थोथी और निराधार हैं। सरकार को चाहिए कि अच्छे ढंग से योजना बनाये और ठीक दिशा में धन का व्यय करे। अन्यथा, इसी प्रकार धन का अपव्यय होता रहेगा।

[श्री सारंगधर दास]

बहुत समय से इस सदन की यह इच्छा रही है कि कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाय। मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं, किन्तु मैं चाहता हूं कि हमारी स्वदेशी वस्तुओं, जैसे खादी, आदि की लागत कम होनी चाहिए और उनका उत्पादन बढ़ना चाहिए। इस काम को पूरा करने के लिए यदि मशीनें लगाने की आवश्यकता पड़े तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जापान की ओर देखिए; उनके यहां भी एक सौ साल से स्वदेशी का प्रचार हो रहा है किन्तु इस क्षेत्र में उन्होंने मशीनीकरण की सहायता से इतनी उन्नति कर दिखाई है।

अब दस वर्ष के करों या उपकरों को लीजिए। हमें यह कहने की आदत पड़ गई है कि इस वर्ष का बजट एक धनिक का बजट है, निर्धन का नहीं। मेरा भी यही विचार है कि उक्त बजट बनाते समय सरकार ने धनिक वर्ग को ही बजट में रखा है। अभी करारोपण पूछताछ आयोग की रिपोर्ट भी नहीं आ पाई थी कि बेचारे निर्धन व्यक्ति की आवश्यकताओं पर करों का और बोझ बढ़ गया है। मंत्री जी ने भले ही नकली रेशम पर छट की घोषणा की हो किन्तु जुते, आदि पहनावों पर अभी कोई भी छट नहीं दी गई है। स्वास्थ्य के लिए पैरों का पहनावा बहुत ही आवश्यक है, किन्तु अधिकरों और अन्य करों से इसको इतना अधिक लादा गया है कि निर्धन व्यक्ति जूता खरीद नहीं सकते। कितना ही अच्छा होता कि हमारे कुटीर उद्योग वाले मशीनें चला कर देश की आवश्यकताओं को बड़े पैमाने पर पूरा कर लेते, ताकि कर भी कम देना पड़ता और देश की आवश्यकता भी पूरी हो जाती। जहां हम एक ओर धनिकों का ध्यान रखते हैं, वहां हम भारत की निर्धन करोड़ों जनता को ध्यान से उतार देते हैं, और यह नहीं सोचते कि इन बेचारों पर करों का कितना बोझ बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैं इस बजट को एक धनिक का बजट समझता हूं। मैं सदन को यही बताना चाहता हूं कि यह योजना सच्चे अर्थों में एक योजना नहीं कही जा सकती। सारी योजनाएं केन्द्र से बन कर जाती हैं, अतः स्वाभाविक है कि ये स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा न कर सकें। अब देखिये कि उड़ीसा स्थित बालासोर में सरकार ने जो परियोजना चलाई है वह वहां की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। वहां लोगों की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि नदी पर बांध बांधा जाय। योजनाओं का वातावरण पिछले एक वर्ष से फैल रहा है, किन्तु अभी यह समझ में नहीं आया कि कहां से इन को शुरू किया जा रहा है, और किस क्षेत्र—गांव या कस्बे—को इसका आधार माना गया है। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री के इस विधेयक का विरोध करता हूं।

डा० कामले (नान्देड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आज दो साल के बाद मुझे भाषण का समय मिला है, इसलिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं।

मैंने फाइनेंस बिल को अच्छी तरह से देखा है और मैं निःसंकोच कह सकता हूं कि यह हमारे देश की आर्थिक समस्याओं के मकसद को पूरा करता है, इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

इस बिल में जूतों पर जो टैक्स लगाया गया है यह अभिनन्दनीय है, कारण भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और काश्तकार और गरीब तबका ज्यादातर देहाती चमारों द्वारा बनाये हुए जूते पहिनता है।

बाटा, फलेक्स, इत्यादि फैक्टरीज़ के मुकाबले में हमारे चमार भाइयों के बनाये जूते नहीं टिक सकते । इस बिल से इसीलिये फैक्टरीज़ के बने हुए जूतों पर टैक्स लगेगा और फलस्वरूप उन जूतों की कीमत बढ़ जायेगी और उस हालत में हाथ से बने हुए चमारी जूते किसी हद तक उनका मुकाबला कर सकेंगे । मेरा विश्वास है कि इस टैक्स के लगाने से हमारे गरीब चमार भाइयों को रोज़ी मिलेगी और ग्रामीण चर्म उद्योग तरक्की करेगा ।

इस बिल में खादी और हैंडलूम के कपड़े को संरक्षण दिया गया है । एडीशनल एक्साइज़ ड्यूटी की वजह से मिल के कपड़े की कीमत ज्यादा होगी और खादी और हाथ से बुना हुआ (हैंडलूम का) कपड़ा उस मिल के कपड़े का किसी हद तक मुकाबला कर सकेगा । इससे गरीब कारीगर को रोज़ी मिलेगी और खादी तथा हैंडलूम का प्रचार ज्यादा होगा ।

इस बिल में रस्सी उद्योग की तरफ़ भी ध्यान देना ज़रूरी था । काटेज इंडस्ट्रीज़ के तहत यह धंधा है और ज्यादा तर हरिजनों की रोज़ी का यह एक धंधा है । सन, केतकी, नारियल वगैरा रा मैटिरियल सप्लाई करने का इन्तज़ाम करके सरकार को तैयार माल बाज़ार में फ़रोक्त करने का प्रबन्ध करना चाहिये, साथ ही इन की कोआपरेटिव सोसाइटीज़ कायम करके इन के कर्ज़ देने की व्यवस्था करनी चाहिये । टैनरी और कोटेज इंडस्ट्रीज़ की कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को कर्ज़ दे कर सरकार ने जो संरक्षण प्रदान किया है, उस से हरिजनों की रोज़ी का सवाल बड़ी हद तक हल हो जाता है ।

अपने देश की इस पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये पैसे की बहुत ज़रूरत है । मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव पेश करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि सरकार अगर चाहे तो उस पर अमल करके बड़ी तादाद में रुपया जमा कर सकती है । हमारे देश में कई मंदिर ऐसे हैं जिन के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति पड़ी हुई है और आज उन के महन्त और पुजारी लोग उस सम्पत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर सरकार इन मंदिरों की सम्पत्ति अमानत या कर्ज़ समझ कर इस योजना को उन्नति देने के काम में लाये तो किसी हद तक हमारी योजना पूरी हो सकती है । माननीय वित्त मंत्री का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करता हूं, वह इस पर विचार करें । इन मंदिरों के पुजारियों, महन्तों तथा व्यवस्थापकों को देश को उन्नत तथा शक्तिशाली बनाने के जिये इन मंदिरों की पूरी सम्पत्ति राष्ट्र की अमानत समझ कर या कर्ज़ समझ कर सरकार के हवाले कर देनी चाहिये, उन्हें सोमनाथ मंदिर और महमूद गज़नी का इतिहास अपनी आंखों के सामने रखना चाहिये और उसे भूलना नहीं चाहिये । पाकिस्तान और अमेरिका के हथकंडों से सावधान होकर यह बेकार पड़ी धनराशि का सदुपयोग करके सरकार को मौका देना चाहिये ।

११ म० पू०

स्वराज्य प्राप्ति के बाद जनता में जो उत्तेजना और सहकार्य का अभाव नज़र आता है, सरकार को उस तरफ ध्यान देना निहायत ज़रूरी है । सरकार का ध्यान इधर कम है, यह दुःख के साथ कहना पड़ता है । जनता का सरकार पर से विश्वास उठता जा रहा है, इसलिये हमें आज आर्थिक समस्या का मुकाबला करना पड़ रहा है । मिसाल के तौर पर मैं आप को बताऊं कि बाजार में १२, १३ आने सेर चीनी मिलती थी अब वह

[डा० कामले]

१ रुपये सेर बिक रही है और यह इस कारण हुआ कि सरकार ने बाजार भाव पर निगरानी और नियंत्रण नहीं रखा। सट्टेबाज़ी और साठेबाज़ी (होर्डिंग) पर बंधन नहीं डाला, दूसरे खाद्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया था वह पूरा नहीं किया। उनके कहने के बावजूद छिपा हुआ कोटा बाजार में नहीं आया और पांच लाख टन चीनी बाहर से वक्त पर नहीं आई, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीनी की कीमत बढ़ गयी। इसी तरह पंच साला योजना में जो इलाके उपेक्षित हैं उधर सरकार का ध्यान नहीं गया है। हैदराबाद स्टेट के मराठवाड़ा इलाके को पहली पंच वर्षीय योअना में कुछ भी नहीं मिला। इस इलाके में अगर बड़ी योजना नहीं की गयी तो न सही, लेकिन यहां पर छोटी स्कीमें लिफ्ट इर्रीगेशन, आदि की बहुत अच्छी तरह से कामयाब हो सकती हैं। जब हमारे कृषि मंत्री डा० पंजाब राव देशमुख मराठवाड़े के दौरे पर गये थे तो मैंने उन्हें स्वयं परभणी जिले के खल्लीमुली स्थान पर गोदावरी के किनारे लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम के बारे में बताया था और कहा था कि यह योजना मराठवाड़े में कामयाब हो सकती है। इस योजना के चलाने में खर्च कम आयेगा और फायदा अधिक पहुंचेगा। सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये।

जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये और सहकार्य के आर्थिक समस्या हल करने के लिये निम्न बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। हूकुमत के इन्तज़ाम में नये सिरे से संशोधन करके तबदीली करना आवश्यक है। मौजूदा हुकूमत का ढांचा अंग्रेज़ों ने अपने फायदे के लिये बनाया था, अब समय आ गया है कि हमें इसे भारतीय ढंग से बनाना चाहिये और विभिन्न स्टेटों में 'ए' 'बी' 'सी' के अन्तर को निकाल देना चाहिये। सरकार ने जो आश्वासन दिया है और जो वायदा किया है वह पूरा करना चाहिये और उस पर अमल होना चाहिये।

पंच साला योजना में जो लोग नज़रअंदाज़ किये गये हैं उनको उचित स्थान देना चाहिये। और हरिजन भाइयों और पिछडे हुए लोगों के फ़ायदे के लिए एक योजना बनानी चाहिये। जनता की भावनाओं का आदर करके उनको उचित स्थान देना चाहिये। मिसाल के तौर पर हैदराबाद की जनता हैदराबाद का विभाजन चाहती है, सरकार को उसे पूरा करना चाहिये। सरकार को पंच साला योजना कामयाब करने के लिये पैसे की ज़रूरत है। अपोज़ीशन पार्टीज से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के पास कोई एक जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमा दी और काम बन गया और न ही हमारी सरकार के पास अलाउद्दीन का चिराग़ है जो पलक झपकते काम पूरा हो जाय। मैं समझता हूं कि यह जो टैक्स लगाये गये हैं वह ठीक और उचित हैं। अन्त म मैं एक बार फिर इस बिल का समर्थन करके अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह महता (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जो वित्त विधेयक हमारे सामन मौजूद है, वह एक नई दिशा का सूचक है, उसमें गृह उद्योग धंधों को "प्रोत्साहन और संरक्षण दिया गया है अतः यह एक सही दिशा में एक सही

कदम है, इसके लिय मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आयन्दा वर्ष भी वे इसी दिशा को छोंडेंगे नहीं और एक बहुत बडा क्रान्तिकारी कदम इसी दिशा में उठायेंगे क्योंकि आज हमारे यहां बेकारी की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और यह एक राष्ट्रीय समस्या बन गयी है और इसके कारण आज बड़ी परेशानी पाई जाती है। चारों और हम देखते हैं कि लाखों आदमी बेकार फिर रहे हैं, हज़ारों नौजवान आदमी आज निराशा में डूब हुए इधर-उधर मारे मारे फिर रहे हैं। वे काम चाहते हैं लेकिन आज उनके पास कोई काम नहीं है। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं और सुनते हैं कि इसी बेकारी के कारण बहुत से नौजवानों ने आत्म हत्या कर ली, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में होली के दिन जब कि सारा दिल्ली होली मना रहा था, एक नवयुवक जन्तर मन्तर में आता है वहां का जो सन डायल है जो सब से ऊंचा स्तम्भ है, वहां से उस नौजवान को आत्म हत्या का प्रयत्न करते हुए मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और वह नौजवान वहां से कूद पडता है। वह बेहोश हो जाता है और पुलिस के द्वारा अस्पताल में ले जाया जाता है। मुझे पता नहीं कि उसके बाद उसका क्या हुआ। लेकिन मुझ से कहा गया कि वह बहुत दिनों से बेकार था और उसे कोई भी रोज़ी नहीं मिली थी। आये दिन इस प्रकार की घटनायें हमारे यहां हो रही हैं। मैं समझता हूं कि हम को एक बहुत क्रान्तिकारी कदम मौजूदा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये उठाना होगा। मुझे इस के लिय केवल दो ही मार्ग दिखाई पडते हैं। एक तो यह कि वर्तमान शिक्षा के रूप का परिवर्तन करें और जल्दी से जल्दी क्रान्तिकारी परिवर्तन करके ऐसी शिक्षा दें जिससे कि हमारे नौजवान और हमारे देशवासी किसी काम पर लगें और अपनी रोटी कमा सकें। दूसरी बात यह है कि गृह-उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दे कर उन के क्षेत्रों का विभाजन किया जाय। जब तक हम उन का विभाजन नहीं करेंगे अर्थात छोटे उद्योग धंधे, बड़े उद्योग धंधे और मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधे, नहीं बनायेंगे तब तक हमारा काम नहीं चल सकेगा। उन के लिये डिमार्केशन हो कर रिजर्वेशन होना चाहिये कि अमुक धंधे गृह उद्योग धंधों के द्वारा ही चलेंगे, इस के सिवा हमें कोई चारा नहीं मालूम होता कि हम सारे देश को काम पर लगा सकें। यह आप को करना होगा यदि आप देश में शान्ति चाहते हैं और लोगों को काम पर लगाना चाहते हैं जो कुछ भी राहत हम को मिल सकती है वह केवल गृह उद्योग धंधों के पनपने से ही मिल सकती है। यही एक मात्र उपाय है जिस को किआप सब लोगों को काम देने के लिये अपनायें और यही एक नीति हो सकती है जिसको जल्दी से काम में लाकर लोगों को अपनी उन्नति करने का मौका दे सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि आज हमारा मध्यम वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ लोग कहते हैं कि मध्यम वर्ग की इस देश में आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि यह बात मानते हैं। मध्यमवर्ग ने काफ़ी कुर्बानी की है और वह समाज की रीढ़ कहे जा सकते हैं। उसी ने क्रान्ति को है और बराबर हर देश म वही वर्ग क्रान्ति करता

[श्री बलवन्त सिंह महता]

है। लेकिन आज वह बेकारी के कारण बहुत परेशान हैं। इस लिये उस को बचाया जाना चाहिये और उसको बचाने का उपाय केवल यही हो सकता है, जैसा कि मैं ने बताया, कि शिक्षा में परिवर्तन हो और दूसरा उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दिया जाय।

तीसरी बात यह है कि हमारे किसान भाई जो कि करीब ८० या ८५ प्रतिशत इस देश में रहते हैं, या यूं कहा जाय कि सारा देश ही किसानों का है, बड़ी दिक्कत में हैं। आज लाखों किसान ऐसे जो बिना जमीन के हैं। आज जमीन के मालिक दूसरे लोग हैं जब कि लाखों ऐसे किसान जिन का खुद का पेशा किसानी का रहा है, बिना जमीन के रह रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा प्लैनिंग कमिशन इस बात के लिये जल्दी से जल्दी विचार करे। और अगर वह इस को अपने हाथ में लेगा जिस से कोई भी किसान बिना जमीन के नहीं रहे हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे यहां एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रान्ति हो रही है भूदान के नाम से। संत विनोबा ने इस क्रान्ति को आरम्भ किया है और यह संसार की अद्भुत क्रान्ति है जिस को हमें सफल करना है। संत विनोबा ने इस को आरम्भ किया है परन्तु इस में पूर्णाहुति देनी है हमारी गवर्नमेंट को। वह इस प्रकार से दे सकती है कि हमारे यहां एक साल के अन्दर कोई भी किसान ऐसा न रहे जिस के पास कि जमीन न रहे। देश में जितनी भी जमीन है उस को हमारे देश में जितने किसान हैं उन में बांटा जाना चाहिये। इस के साथ हमें यह भी करना चाहिये कि कोई भी प्राइवेट लैंडेड प्रापर्टी न रख सके। यह हमारे लिये एक अभिशाप है कि हम इन चीज़ों पर भी कब्ज़ा किये हुए हैं जिनको कुदरत ने समान रूप से सभी का दिया है।

श्री आर० एन० सिंह (जिला गाज़ीपुर--पूर्व व जिला बलिया--दक्षिण पश्चिम): क्या प्राइवेट मिल्स रहें ?

श्री बलवन्त सिंह महता: तो मैं समझता हूं कि इस बड़े कदम की ओर हमारे योजना आयोग को ध्यान देना चाहिये कि हमारे यहां पर सारी की सारी जमीन उन लोगों को बांट दी जाय जो कि किसान होते हुए भी भूमि के मालिक नहीं हैं। जब हम प्राइवेट लैंडेड प्रापर्टी को भी खत्म कर देंगे तभी हम अपने किसानों को राहत पहुंचा सकेंगे और देश को आगे बढ़ा सकेंगे। हमारे यहां थोड़े से आदमी हैं जो कि मिलों के मालिक हैं, वे भी इस दशा में नहीं रह सकेंगे।

श्री सैय्यद अहमद (होशंगाबाद): बड़े बड़े मकानात जो हैं, बम्बई में ?

श्री बलवन्त सिंह महता: दूसरी बात मैं यह चाहता हूं कि हमारे यहां जो मूलाधिकार दिये गये हैं जो फंडामेन्टल राइट्स कहे जाते हैं, कि प्रत्येक आदमी स्वतंत्र है, किन्तु वह आज सामूहिक रूप से स्वतंत्रता रखने के लिये ये ही मूलाधिकार आज उपयोगी नहीं हो रहे हैं। मैं आप को बतलाऊं कि आज हम लोग सामूहिक रूप से अपना खुद का खाना भी अपनी इच्छा से नहीं खा सकते हैं। अपने खुद के परिश्रम से बने मकान में नहीं रह सकते हैं. अपनी खुद की पसन्द के कपड़े नहीं पहन

सकते हैं। यह बड़े ही दुःख की बात है। आप कहेंगें कि कैसे? राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बहुतायत से पशु रहते हैं। बल्कि देश में सब से ज्यादा दूध का उत्पादन राजस्थान में होता है, वहां पशुपालन बहुत बड़ी इंडस्ट्री यानी धंधा है। लेकिन वहां पर हो क्या रहा है? वहां पर नकली घी लाने के लिये केन्द्रीय सरकार मजबूर कर रही है। वहां पर इस पर पहले से प्रतिबन्ध लागू है कि वहां नकली घी नहीं आ सकता, लेकिन हमारी यहां की सरकार आज मजबूर कर रही है कि वहां पर दालडा इत्यादि का प्रवेश हो। मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार से हमारी स्वतंत्रता का अपहरण है। आज हम लोग स्वतंत्र हैं, अपनी तन्दुरुस्ती को अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की बातों का मतलब यह होगा कि हम अपनी तन्दरुस्ती को भी कायम रखने के अधिकारी नहीं हैं। आज जो लोग वहां पर गोपालन कर रहे हैं, उन के यहां यह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है लेकिन आज उनको मजबूर किया जा रहा है कि उसे खत्म कर दो, देश में ऐसे कई लोग हैं जो अपने यहां विदेशी कपड़ों तथा विदेशी वस्तुओं का नहीं आने देना चाहते, वह नहीं चाहते कि उन के यहां मिल का कपड़ा आये, वहां के जुलाहे और किसान चाहते हैं कि वह अपने यहां का बना हुआ कपड़ा पहनें, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते हैं, किन्तु बात यह है कि विधान के अनुसार बाहर की चीजों को लाने से रोका नहीं जा सकता, हम चाहते हैं कि विधान के उसूल कायम रहें मगर उन्हें बाहर की चीज रोकने की स्वतंत्रता देनी चाहिये। अगर किसी प्रदेश या गांव के लोग यह चाहते हैं कि उनके यहां ऐसा प्रतिबन्ध लगे तो मैं समझता हूं कि इस के लिये विधान में भी संशोधन करना पड़े तो करना चाहिये जिस में उन को हर प्रकार की स्वतंत्रता मिल सके कि वह अपनी अच्छा से अपना भोजन कर सकें, अपनी इच्छा के अनुसार शुद्ध घी का उपयोग कर सकें, अपनी इच्छा के अनुसार स्वच्छ कपड़ा पहन सकें और अपने आदमियों को रोज़ी दे सकें। यह बहुत बड़ा आवश्यक सुधार है जो विधान में संशोधन के द्वारा ही दूर हो सकता है और इस पर आप को ध्यान देना चाहिये। रैशनलाइजेशन (नवीकरण) के बारे में भी यहां कहा गया है। अगर यह आप ने किया और यहां की चीजें हमारे यहां जाने लगीं तो यहां का वनस्पति घी वहां जाने लगा तो इस का नतीजा यह होगा कि लाखों आदमी जो हमारे यहां आज पशु पालन के उद्योग में लगे हुए हैं बेकार हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार की नीति यह नहीं है कि हम आदमियों को बेकार करें। इस लिये जितने उद्योग धंधे आज पनप रहे हैं उन की तरफ हम लोगों का विशेष ध्यान होना चाहिये।

दूसरे गृह उद्योगों के सम्बन्ध में मैं आप से कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस बात का नारा लगाया था कि प्रत्येक आदमी को भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा और घर मिलेगा। इस के बीच में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो पंचवर्षीय योजना बनी है वह वास्तव में बड़ी सुन्दर बनी है और मैं समझता हूं कि हम ने बहुत बड़ा उदाहरण संसार के सामने रक्खा है कि बिना आंसू, थकान और रक्तपात के यानी "विथाउट टिअर ऐंड ट्वायल और

[श्री बलवन्त सिंह महता]

विधाउट ब्लड" हम ने बहुत बड़ी आर्थिक क्रान्ति इस पंच वर्षीय योजना के द्वारा की है। मैं समझता हूं कि पंचवर्षीय योजना बना कर राष्ट्र ने एक संकल्प किया है। इस लिये हम ो उस से पीछे नहीं हटना चाहिये। यह नहीं कि इस को हम ६ या ७ वर्ष तक घसीट ले जायें, हमें इस को अवधि के अन्दर ही समाप्त करना चाहिये क्योंकि यह राष्ट्र की प्रतिज्ञा है।

तो जो मैं कह रहा था कि हम ने मकानों के लिये भी इस प्लैन-योजना में कहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सी रियासतों ने पत्थर के ऊपर भी टैक्स लगाया हुआ है, खास कर उस पत्थर के ऊपर जिस को कि मैसनरी स्टोन (चुनाई का पत्थर) कहते हैं, जो किसान अपने मकान बनाना चाहते हैं, खेत की मेड़ बनवना चाहते हैं, उन पर भी टैक्स लग जाता है! मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री महोदय इस की ओर ध्यान देंगे और यदि यह प्रान्तीय सरकार से सम्बन्धित हो तो उन को आदेश देंगे कि इस प्रकार का टैक्स बिल्कुल माफ कर दिया जाय ताकि हर एक आदमी अपना घर बना कर उस में रह सके।

तीसरी बात राजस्थान के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी उस की आय ली गई है और जितना वह पिछड़ा हुआ प्रदेश है उसको देखते हुए उसको बहुत कम सहायता मिली है। उसे कम से कम उतनी सहायता तो मिलनी ही चाहिए जितने कि उसके आय के साधन ले लिये गये हैं।

अभी काटेज इंडस्ट्री की रिपोर्ट हमारे सामने आयी है, उस में जस्थान का उल्लेख कहीं नहीं है। जितने उसके क्राफ्ट्स हैं और काटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको अगर सहायता दी भी गई है तो बहुत कम दी गई हैं। और प्रांतों में जितनी काटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काफी सहायता दी गई है लेकिन राजस्थान को बहुत ही कम सहायता दी गई है। राजस्थान में बहुत ज्यादा उद्योग धंधे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप उनकी ओर ध्यान देंगे और उनको अच्छी से अच्छी सहायता दिलाने का प्रयत्न करेंगे।

चौथी बात मुझे बड़े बड़े उद्योग धंधों के बारे में कहनी है। हम देख रहे हैं कि आप बड़े बड़े कारखाने खोल रहे हैं और यह देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हम देखते हैं कि इनका खास खास जगहों में कंसेंट्रेशन हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस विषय में भी ऐसी नीति बनानी चाहिये जिससे कि सब राज्यों को इन बड़े बड़े कारखानों का लाभ मिल सके। हमारे यहां जो आयरन और स्टील के कारखाने खोले जा रहे हैं वे एक ही प्रांत में या उसके आसपास खोले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं उनका तो समान बटवारा होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक एक राज्य में तीन बेसिक इंडस्ट्रीज होनी चाहिएं। लेकिन अगर आप तीन तीन नहीं दे सकते हैं तो कम से कम एक एक बेसिक इंडस्ट्री तो हर राज्य को दें जिससे कि उस राज्य की उन्नति हो सके।

इसके साथ ही साथ जहां हम आयरन और स्टील के लिए बड़े २ कारखाने खोल रहे हैं और शायद हम इसमें सैल्फ सफीशैंट भी हो जायें, हम

नान-फैरस मैटल्स (जिंक, लैड और कापर) के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये चीजें बहुत बड़ी तादाद में बाहर से मंगाते हैं। हम करीब १३ करोड़ के नान-फैरस मैटल्स बाहर से मंगाते हैं। लेकिन इनको तैयार करने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। यह हमारे देश में कच्चे रूप में प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं। जहां तक जिंक का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में इतना जिंक मिल सकता है जितना कि शायद एशिया में और कहीं नहीं मिल सकेगा। इसी प्रकार लैड और कापर की भी खानें हैं लेकिन वे ऐसे लोगों के हाथों में हैं जिनके लिए 'डाग इन दी मेंजर' की कहावत चरितार्थ होती है। "कुत्ता न खुद खाता है न गाय को खाने देता है"। वे लोग उन खानों को न खुद एक्सप्लाइट करते हैं और न ही दूसरों को करने देते हैं। इस लिए मेरी दरखास्त है कि इसके लिए भी आप एक कारपोरेशन बना कर इसको जल्दी से जल्दी अपने हाथ में लीजिए और नान-फैरस मैटल्स के उद्योग को जारी कीजिए और इस उद्योग को ऐसी स्टेट्स में शुरू कीजिए जहां कि उनकी खानें हैं जिससे कि उन स्टेटों की भी उन्नति हो सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके साथ ही आपकी एक और समस्या हल हो जायगी। यह समस्या सल्फ्यूरिक एसिड (गंधक के तेजाब) की है जो कि इंडस्ट्री के लिए एक बेसिक चीज़ है। इस समस्या को अकेला राजस्थान हल कर सकता है। वहां काफी मात्रा में जिप्सम के डिपाजिट्स हैं और जिंक के डिपाजिट्स हैं जिसमें से सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है और शायद कापर में से भी निकलता है। इन खानों से जो सल्फ्यूरिक एसिड निकलेगा वह हमारे देश की कुछ मांग को पूरा कर सकेगा इसलिए हमें इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए।

हमारे यहां जो सर्वे हो रहा है वह बहुत धीमे धीमे हो रहा है। हमें पता नहीं कि हमारे यहां क्या क्या डिपाजिट्स हैं, कितने रिजर्वस हैं। राजस्थान में बहुत से मिनरल्स हैं जो बड़े स्ट्रेटिजिक हैं और बडे महत्व के हैं। इसलिए उनका उपयोग करने के लिए आप एक साथ ही सर्वे करा दीजिए ताकि यह काम जल्दी से जल्दी शुरू हो सके।

अब एक बात में उन इंडस्ट्रीज के बारे में कहना चाहता हूं जो कि मर रही हैं। सारे संसार में केवल हिन्दुस्तान में ही प्रेशियस स्टोन कटिंग इंडस्ट्री गृह उद्योग के तौर पर चलती है और यह हजारों आदमियों को रोजगार देती है। लेकिन जब से आपने २० प्रतिशत का आयात कर लगा दिया है तब से यह इंडस्ट्री मर सी गई है। मैं समझता हूं कि आप इस इंडस्ट्री को राहत देंगे।

इसके अतिरिक्त हमारे देश में मारबिल भी बड़ी मात्रा में पाया जाता जाता है। और यह हमारे देश की बड़ी मांग को पूरा कर सकता है। आपको मालूम है कि जो ताजमहल सारे संसार में मशहूर है वह मकराने के मारबिल का बना हुआ है। हमारे यहां इसका काफी डिपाजिट है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे उद्योग मन्त्री बाहर के मारबिल को तरजीह देते हैं जिसका परिणाम यह है कि देश की आवश्यकता का ५० प्रतिशत मारबिल इटली से आता

[श्री बलवन्त सिंह महता]

है । इसके अतिरिक्त मारबिल का काम करने वालों को और भी बहुत सी कठिनाइयां हैं । उनको समय पर पर्याप्त वेगन्स नहीं मिलते । उसको लग्ज़री गुड्स में रख दिया गया है जिससे माल मंहगा पड़ता है । तो और भी कई कठिनाइयां हैं जिन्हें आपको दूर करना है । मैं समझता हूं कि जो आप बाहर से मारबिल मंगाते हैं उसको बन्द करेंगे और हमारे यहां के मारबिल को प्रौटेक्शन देंगे ।

इसके साथ साथ और भी उद्योग धंधे हैं जैसे शराब है, बिस्कुट है, काफी है, सिगार चीजें हैं वे यहां बन सकती हैं मगर वे बाहर से आ रही हैं । मैं समझता हूं कि अच्छा हो कि इनको आप तत्काल बाद कर दें जिससे हमारे आदमियों को रोज़गार मिल सके और वे आनन्द से रहें और हमारा रुपया बाहर जाने से रुके ।

एक बात मुझे माइका के बारे में कहनी है । माइका हमारे देश का बहुत बड़ा धंधा रहा है । हम करोड़ों रुपये का माइका बाहर भेजते हैं । लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि लड़ाई के ज़माने में हमारा करोड़ों का माइका कौड़ियों के दाम में खरीद लिया गया और अब वह इंगलैंड में पड़ा हुआ है । मेरी दरखास्त है कि आप उसको उसी दाम पर वापस मंगवा लें जिस पर उन्होंने खरीदा था जिससे हमारे वर्तमान व्यापार को बढ़ावा मिले । हमारे यहां संसार में सबसे ज्यादा माइका का उत्पादन होता है और यह बिजली के सामान में काम आता है । मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के उद्योग यहां खोलें कि यह माइका हमारा यहीं काम में आने लगे और बाहर न भेजना पड़े । इससे हमारे आदमियों को भी काम मिल जायगा और हमारा व्यापार भी बढ़ेगा । आशा है इसके लिए एक योजना बनाई जायगी ।

मैं टोबैको (तंबाकू) के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं । यह सारे भारत में काफी उगता है और इसका बहुत बड़ा व्यापार है । आज मन्दी आई हुई है अत: मैं समझता हूं कि इसके व्यापार में आई हुई बाधाओं को दूर करना चाहिए जिससे हम इसको बाहर भेज सकें । राजस्थान में जो कनसेशन दिये गये हैं वह सीमित ज़िलों में दिये गये हैं और उसके दूसरे ज़िलों में कनसेशन नहीं हैं । इसके इलावा एक कलेक्टर उसको लो ग्रेड मानता है और दूसरा उसको हाई ग्रेड मानता है । मैं चाहता हूं कि यह असमानता जल्दी से जल्दी दूर की जावे ताकि व्यापार में यूनिफारमिटी आवे ।

आपने अपनी फाइनेंस रिपोर्ट में लिखा है कि बी क्लास स्टेट्स में एकाउंटिंग में और आडिटिंग में प्रांतीय भाषाओं में में हिसाब किताब रखने से बहुत गड़बड़ी हो रही है । अगर आप ईमानदारी से देखें तो किसी देश का हिसाब उस देश की भाषा में ही अच्छे ढंग से रखा जा सकता है । इसलिए बी क्लास स्टेट्स अपनी अपनी भाषाओं में हिसाब रखती हैं । लेकिन उनको कहा जाता है कि आप इसको अंग्रेज़ी में रखिये । हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है और आगे हमारा काम इसी भाषा में होने वाला है । इसलिए यह उचित होगा कि हम हिन्दी में ही अपना हिसाब किताब रखें । पहले

हमारे यहां हाई कोर्ट में हिन्दी चलती थी लेकिन आपने अंग्रेजी कर दी। इससे वहां बहुत गड़बड़ी हो रही है और काफ़ी करप्शन बढ़ गया है। आज एकाउंट विभाग में तो करप्शन का यह हाल है कि अहलकार अहलकार से पैसा मांगता है और बगैर पैसा दिये आडिटिंग आदि नहीं होता। मैं आशा करता हूं कि आप हिन्दी को जारी रखेंगे और जो भी जहां की भाषा हो उसमें हिसाब रखा जाय, ऐसा आम आदेश देंगे।

श्री धीरस्वामी (मयूरम--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मेरे विचार से यह सामान्य आयव्ययक एक लोकतन्त्रात्मक आयव्ययक नहीं है। यह किसी ऐसी सरकार का आयव्ययक नहीं कहा जा सकता है जो कि इस देश में जन कल्याण राज्य स्थापित करना चाहता हो। इसमें लोगों की वास्तविक दशा का स्पष्ट चित्रण नहीं किया गया है और न ही यह दिखाया गया है कि जनता की विविध समस्याओं को सारे देश में किस प्रकार हल किया जायगा। चूंकि यह आयव्ययक आम लोगों के काम में आने वाली साधारण वस्तुओं पर अनेक कर लगाता है, अतः इसे एक पूंजीवादी आय व्ययक कहा जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं सुपारी, कपड़ा धोने का साबुन और सूती कपड़े पर लगाये गये करों की चर्चा करना चाहता हूं। इन नये करों के लगाये जाने से जनता को विशेषकर गरीब लोगों को, नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जहां तक सूती कपड़े का सम्बन्ध है, यदि बारीक और अति बारीक कपड़े पर कर लगाया गया होता, तो मुझे या किसी और को कोई आपत्ति नहीं होती परन्तु खेद इस बात का है कि मोटे कपड़े पर भी कर लगाया गया है। मैं समझता हूं कि ये नये कर अनुचित हैं और इनसे गरीब लोगों की समस्यायें और बढ़ जायेंगी। मैं माननीय वित्त मन्त्री से इन करों को न लगाने का अनुरोध करूंगा।

अपने आयव्ययक भाषण में हमारे माननीय वित्त मन्त्री ने यह कहा था कि अब लोगों की दशाओं में परिवर्तन हो गया है और उनकी हालत बहुत कुछ सुधर गई है। कदाचित उनका संकेत धनवान लोगों, उद्योगपतियों, ऊंची ऊंची तन्ख्वाहें पाने वाले लोगों और ठेकेदारों की ओर था। इन लोगों की दशा तो निस्संदेह बहुत अच्छी हो गई है। परन्तु यह बात गरीब लोगों, अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों पर कदापि लागू नहीं होती है। आज भी कम आय वाले लोगों के सामने अनेक कठिनाइयां हैं और वे उनके भार से पिसे जा रहे हैं।

आज देश में बेकारी की समस्या अत्यन्त विकराल रूप धारण कर चुकी है। यह समस्या दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है। कोई भी क्षेत्र इस समस्या से अप्रभावित नहीं है। हज़ारों लाखों पढ़े लिखे लोग बेकार पड़े हुए हैं। लोग कोई भी काम करने को तैयार हैं परन्तु कोई काम उन्हें दिया ही नहीं जाता है। यह इस समस्या का एक बहुत गंभीर पहलू है, और इस ओर सरकार को शीघ्र ही ध्यान देना चाहिए। जब तक यह समस्या हल नहीं होती तब तक पंचवर्षीय योजना का कोई महत्व नहीं है।

[श्री वीरस्वामी]

पंचवर्षीय योजना पर २००० करोड़ रुपये से अधिक व्यय हो रहा है । इसमें से १७०० करोड़ रुपये उत्तर भारत पर व्यय किये जा रहे हैं। शेष राशि दक्षिण भारत के लिए रखी गई है । पूंजी व्यय का यह बहुत अनुचित वितरण है ।

अब मैं हिन्दी की समस्या पर आता हूं । इस सम्बन्ध में मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह बता देना चाहता हूं कि तामिलनाद के लोगों ने हिन्दी का कभी भी समर्थन नहीं किया है । सच तो यह है कि वे इसके घोर विरोधी रहे हैं । हम द्रविड़ लोग हिन्दी का एक भाषा के रूप में विरोध नहीं करते हैं । हम उस का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यह भय है कि राष्ट्रीयता, देशभक्ति और भारत की एकता की आड़ में यह भाषा हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को नष्ट कर देगी और उत्तर भारत की संस्कृति और सभ्यता हमारे जीवन में घुस आयगी जिसके फलस्वरूप हमारा अपना व्यक्तित्व ही नष्ट हो जायगा । हम इस दशा को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते हैं । हम उत्तर भारत की दासता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं । हम द्रविड़ लोगों ने १९३७ से, जब श्री सी० राजगोपालाचार्य हमारे राज्य के मुख्य मंत्री थे, हिन्दी के विरुद्ध लड़ाई छेड़ रखी है, और इस सम्बन्ध में हम अपने हथियार डालने को तैयार नहीं हैं । हम अपनी अति सुन्दर भाषा, तामिल की रक्षा के लिए प्राण तक देने को तैयार हैं । मैं यह साफ साफ बता देना चाहता हूं कि यदि हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे ऊपर हिन्दी थोपी गई, तो दक्षिण भारत एक बड़ी क्रांति हो जायगी । हिन्दी राष्ट्रीय भाषा नहीं है । वह केवल सरकारी भाषा है । अभी नहीं, परन्तु १५ वर्ष बाद वह अंग्रेज़ी का स्थान ले लेगी । इस सदन म बहुत से अंग्रेज़ी जानने वाले माननीय सदस्य हिन्दी में प्रश्न पूछते हैं, और कभी कभी मंत्रीगण भी हिन्दी ही में उत्तर देते हैं । ऐसी दशा में हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं । मैं समझता हूं कि प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में इसलिए दिये जाते है, ताकि अनुपूरक प्रश्न न पूछे जा सकें । देश के किसी एक भाग के लोग या वहां की भाषा देश के अन्य भागों के लोगों और उनकी भाषाओं पर प्रभुत्व नहीं रख सकती हैं ।

अनुसूचित जाति के लोगों की समस्या के सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हू कि यदि सरकार सारे देश में जाति-भेद को समाप्त कर दे, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दे और भूमिसुधार कर दे तो हम अनुसूचित जाति के लोग सरकार से किसी भी प्रकार की रियायत या आर्थिक सहायता की याचना नहीं करेंगे । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि गत सात वर्षों में समाज के इस निम्न वर्ग की दशा में कोई वास्तविक सुधार नहीं किया गया है । मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार भूमि व्यवस्था में सुधार करे और किसानों को, कृषि-श्रमिकों को भूमि का स्वामी बना दे । इस से अनुसूचित जाति के लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा ।

जहां तक गरीब लोगों की आवास समस्या का सम्बन्ध है, मेरा सुझाव यह है कि सराकार को ऐसे लोगों के लिये मकान आदि बनवाने के हेतु कम से कम १०० करोड़ रुपये की एक योजना बनानी चाहिए । यह राशि इसी

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार को व्यय करनी चाहिए ताकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने तक हमारे देश के लोग सुखद वातावरण में रहने लग जायें और तब वे अगली पंचवर्षीय योजना में अपना पूरा सहयोग दे सकेंगे ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के संबन्ध में भी मैं दो एक शब्द कहना चाहता हूं । अभी हाल ही में रेडियो विभाग के २२ कार्यक्रम सहायक और आठ उपसम्पादक छंटनी के शिकार बना दिये गए हैं । इसके अतिरिक्त कुछ उच्च-पदाधिकारियों को छोटे पदों पर उतार दिया गया है । उक्त छंटनी किये गये लोगों में से अधिकांश व्यक्तियों ने सात वर्ष नौकरी की थी । कुछ ऐसे भी हैं जिनका सेवा काल दस वर्ष तक है । इतनी लम्बी नौकरी करने बाद किसी को नौकरी से निकाल बाहर करना बहुत अनुचित है । इसी प्रकार कुछ योग्य उच्च-पदाधिकारियों को छोटे पदों पर उतार देना भी अनुचित है । सरकार की यह नीति निन्दनीय है ।

उद्योगों के अभिनवीकरण के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि इस नीति को तब तक क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सारे देश में राष्ट्रीय सम्पत्ति का न्यायोचित वितरण न हो जाय और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा न हो जाय । अन्यथा हजारों लोग बेकार हो जायेंगे । अभी इस अभिनवीकरण की नीति को क्रियान्वित करने से केवल उद्योगपतियों, पूंजीपतियों आदि को ही लाभ पहुंचेगा ।

दक्षिण भारत में हथकरघा का काम करने वाले लोगों और दियासलाई उद्योग की बहुत बुरी दशा है । त्रावनकोर-कोचीन राज्य के त्रिचुर नामक स्थान पर आतिश-बाजी और पटाखे भारी मात्रा में बनाये जाते हैं । आतिशबाजी का आयात १९४७ में रोक दिया गया था, परन्तु १९५३ में उसे फिर चालू कर दिया गया और चीन से आतिशबाजी का आयात किया गया था । यह उचित नहीं है । हमें यथासंभव अपने यहां के उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये और जो चीजें पर्याप्त मात्रा में देश में बनती हो उनका आयात नहीं किया जाना चाहिए जिस से कि हमारा उद्योग बढ़ सके । यही बात स्याही, आलपीन, झाड़ आदि छोटी छोटी चीजों के आयात के सम्बन्ध में भी लागू होनी चाहिए । आशा है माननीय वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे ।

श्री बी० के० दास (कोन्टाई) : भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति का एक सदस्य होने के नाते सुपारी पर लगाये गये कर के सम्बन्ध में कुछ कहना मेरा कर्तव्य है ।

मैं समझता हूं कि सुपारी पर जो कर लगाया गया है, उस से उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । सरकार ने सुपारी के आयात में और छूट दे दी है, इस से दक्षिण भारत के सुपारी उत्पादकों को कोई लाभ नहीं होगा--बल्कि उन्हें कुछ हानि ही होगी । उन की सदैव यह मांग रही है कि सुपारी के आयात की अधिकतम मात्रा निश्चित हो जानी चाहिए और इस सम्बन्ध में बहुत छूट नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा उनके हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । सुपारी पर लगाये गये नये कर से भी उनको कोई लाभ नहीं होगा । अतः मैं माननीय मंत्री से अनरोध करूंगा कि वह इस

[श्री बी० के दास]

प्रश्न पर फिर से विचार करें और कोई बीच का रास्ता ढूंढ़ निकालने की चेष्टा करें। वह मार्ग ऐसा होना चाहिए जिस से उपभोक्ताओं और उत्पादकों को सुविधा प्राप्त हो सके और साथ ही राजकोष को भी कुछ धन प्राप्त हो सके।

अब मैं स्थानीय विकास कार्यक्रमों के विषय में कुछ कहूंगा। इस वर्ष हमारे आयव्ययक में ऐसे कामों के लिए ६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। विचार यह है कि ऐसे किसी कार्य के सिलसिले में जो व्यय होगा उसका आधा भाग केन्द्रीय सरकार उक्त राशि या निधि में से देगी और शेष आधे भाग को जुटाना राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और वहां की जनता का काम होगा। परन्तु देखा यह गया है कि इस स्थानीय अंशदान में अक्सर राज्य सरकार और स्थानीय निकाय कोई भी सहायता नहीं देते हैं और वह सारा का सारा व्यय जनता के सिर आ पड़ता है। यह उनके साथ ज्यादती है। इस अंशदान में राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को भी पूरा सहयोग देना चाहिए। यह ठीक है कि वहां के लोग भी थोड़ा बहुत अंशदान देंगे। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस विषय पर ध्यान देने की कृपा करेंगे। दूसरी बात यह है कि सामदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं के होते हुए भी सैंकड़ों गांव ऐसे हैं, जो हमारे विकास कार्यक्रमों से अभी बिलकुल अछूते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यही कहगा कि उसके गांव में नलकूप अथवा सड़क आदि की परम आवश्यकता है। अब यदि योजना आयोग इसमें कोई सक्रिय रुचि नहीं लेता है तथा सारी बात राज्य सरकारों पर छोड़ दी जाती है तो भावी योजना को उचित रूप से नहीं चलाया जा सकेगा।

श्री एन० एस० जैन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण) : मेरे एक माननीय मित्र ने कहा है कि हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोग उनके राज्य की भाषा तथा संस्कृति पर प्रभाव डालने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा हिन्दी को उन पर थोप रहे हैं। मेरा सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से है जो हिन्दी का केन्द्र है। मैं निःसंकोच भाव से कह सकता हूं कि हमने किसी दूसरे राज्य पर हिन्दी को थोपने का प्रयत्न नहीं किया है। हमने उनकी भाषाओं में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है। मुझे यह सुनकर आशचर्य हुआ कि हिन्दी के राष्ट्रीय भाषा घोषित किये जाने से उनकी संस्कृति खतरे में पड़ गई है।

अधिक विस्तार से न कहत हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हम किसी प्रादेशिक भाषा को हानि नहीं पहुचाना चाहते हैं। आखिर अंग्रेज़ी भी तो विदेशी भाषा है। इसके स्थान पर हिन्दी को क्यों प्रचलित न किया जाय? इससे उनकी भाषा तथा संस्कृति में कैसे हस्तक्षेप होता है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं, इस लिये कि इस सरकार का कार्य बिना रुपये के नहीं चल सकता है। इस सरकार का कार्य चलाना है और इस सरकार का कार्य आज विशेषत: इस पंच वर्षीय योजना से सम्बन्धित है और मैं समझता हूं कि इस पंच वर्षीय योजना की सफलता ही इस बात को निर्धारित करेगी कि इस देश में कितनी उन्नति करने की शक्ति है और इस के अन्दर कितना स्टेमिना है।

उपाध्यक्ष जी, पेश्तर इस के कि मैं इस पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में कुछ कहूं, मैं यह समझता हूं कि मैं अपने वित्त मंत्री जी को इस बात के लिये मुबारक-बाद दूं कि उन्होंने इन कठिन वर्षों में हमारे फाइनेन्सेज को इस काबलियत के साथ और इस सुन्दरता के साथ चलाया और उस के ऊपर इतनी निगहबानी रखी कि उन के कुछ साथी भी उन से रूठ गये। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि अब जब कि हमारा देश इतने लम्बे कदम उठा रहा है, हम इस बात के लिये उन के पीछे हैं कि उस रुपये को जो हर गरीब की जेब से आता है, उस को ठीक तरीके से खर्च किया जाय, इस के देखने में जितनी सावधानी वह बर्तेंगे उतना ही हमारा उन के साथ सहयोग रहेगा।

मैं इस के लिये भी अपनी खुशी ज़ाहिर कर दूं कि आज इस विधयक में एस्टेट ड्यूटी लगाई गई है। मैं इस ड्यूटी का बहुत ज्यादा समर्थक रहा हूं पर मैं समझता हूं कि जिस शक्ल में यह एस्टेट ड्यूटी रखी गई है उस में परिवर्तन करना होगा। अभी संत विनोबा ने एक लेख लिखा था कि भारतवर्ष में मनुस्मृति के अनुसार संग्रह करने का कोई कायदा नहीं था। संग्रह को यहां की किसी सरकार या जनता ने या समाज ने ही अच्छी दृष्टि से नहीं देखा और इसीलिये मनुस्मृति में भी यह कायदा बना दिया गया था कि कोई व्यक्ति संग्रह नहीं कर सकेगा। केवल वैश्यवर्ग को छूट दी गई थी, और उस के लिये भी हद्द क़ायम कर दी गई थी कि अपनी तिजारत की और घर की जरूरियात के तीन साल के परिमाण से ज्यादा संग्रह नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूं कि वह दिन आयेगा और जल्दी ही आयेगा, जैसा कि हमें अनावश्यकतायें मालूम हो रही हैं, कि जब इस एस्टेट ड्यूटी के नियमों को बदलना होगा और हम को उस संस्कृति के लाने के लिये, जिस के कि हम उपासक हैं, वह तब्दीलियां करनी पड़ेंगी और जिन को आज के ज़माने में हमारे सामने पेश किया जा रहा है संत विनोबा जैसे व्यक्ति के द्वारा।

मैं यह भी अर्ज़ कर दूं कि जो हमारा नेशनल लोन है जिस के लिये कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपील की है, उस से मैं पूणतया सहमत हूं। लेकिन इस नेशनल लोन की क्या अहमियत है इस को हम ने अभी तक जनता को नहीं बताया है। यदि जनता समझ गई तो आशा है कि यह नेशनल लोन पूर्णतया सफल होगा और हम में से हर एक स्त्री पुरुष इस को अपना धार्मिक कर्तव्य समझेगा कि इस में अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग दे।

अब मैं आप के सामने अपने कुछ विचार पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में, जिस की सफलता के साथ हमारे देश की और हमारी सरकार की सफलता सम्बन्धित है, रखूंगा। जहां तक इस प्लैन का ताल्लुक है, मेरा इस को देखने का तरीका भिन्न है। मैं इस प्लैन में तीन हिस्से-दार देखता हूं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

सब से पहले सरकार, दूसरे सरकारी कर्मचारी जिन के द्वारा इस प्लैन का कार्य जनता तक लाया जा रहा है, और तीसरे जनता, जिस के लाभ के लिये, उन्नति के लिये, विकास के लिये, इस प्लैन को बनाया गया। जब हम प्लैन के बारे में सोचते हैं या इन तीनों समुदायों को हमें देखना पड़ेगा कि उन का अपना

[श्री एन० एस० जैन]

अपना क्या कर्तव्य है और कहां तक उन्नति उन के द्वारा हुई । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है मैं इस के बारे में कुछ कहूं तो बेकार है । सरकार जनता ने बनाई है और जनता की आवाज के अनुसार सरकार आज यहां उपस्थित है । लेकिन जहां तक दूसरे दो समुदायों का, यानी सरकारी कर्मचारी और जनता का सम्बन्ध है, मैं आप को बताना चाहता हूं कि आज आम भावना क्या है और इस भावना के द्वारा इस पंच वर्षीय योजना से सम्बन्धित जो आन्दोलन है वह क्या है । जहां तक रुपये पैसे का मामला है, मैं कहूंगा कि मैं कोई अर्थनीतिज्ञ नहीं हूं और मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा । बल्कि मैं आप के सामने नैतिक स्थिति के बारे में, जिस का सम्बन्ध आर्थिक नीति से भी है, क्या विचार है और आज जनता पर इस नैतिक नीति का क्या प्रभाव है, इस सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । और साथ ही साथ में आज देश में जो हमारी आर्थिक स्थिति है वह भी कुछ वर्णन करूंगा । उस को मिला कर आप यह समझेंगे कि इस पंच वर्षीय योजना में हम कितने सफल हो सकेंगे और अगर यह पूर्ण भी हो गई तो हमारा स्टेचर कितना उंचा उठेगा ।

सब से पहले मैं आप को यह बतला दूं कि जनता के अन्दर आज एक प्रकार का ह्रास (फ़्रस्ट्रेशन) है । यह फ़्रस्ट्रेशन किस वजह से है, इस में जाना बेकार है, लेकिन अगर इस बात को देखें तो शायद आप इन्कार नहीं करेंगे कि जनता में उत्साह नहीं है, जनता में आज पंच वर्षीय योजना के प्रति आकर्षण नहीं है, जो आकर्षण इतनी बड़ी योजना के लिये, जिस से हमारा जीवन सम्बन्धित है, होना चाहिये था । मैं कहना चाहता हूं कि यदि इसी तरह स्थिति चलती रही तो आप की पंच वर्षीय योजना भले ही आंकड़ों में पूरी हो जाय, लेकिन काम के विचार से वह देखने में नहीं आयगी । इस में दोष सरकार की नीति का नहीं है, सरकार की नीति सुन्दर है, शुभ है लेकिन दोष उन कर्मचारियों का या उन एजेन्सियों का है, जिन के द्वारा यह नीति कार्य में लाई जाती है ।

आज हम देख रहे हैं कि हमारी इस पंच वर्षीय योजना के चालू होने के ज़माने में हमारी बेकारी बढ़ती जा रही है और मैं समझता हूं कि पिछले दो साल के अन्दर बहुत ज्यादा बेकारी बढ़ी है । मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी में देखता हूं कि जिनको मैं समझता था कि खाते पीते थे वह आज मेरे पास आते हैं और अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं उससे यह मालूम होता है कि इस पंच वर्षीय योजना के दौरान में लोगों की ज्यादा काम मिलने के बजाय उन में बेकारी बढ रही है । जो लोग देखना चाहें वह देख सकते हैं कि आज मिडल क्लास की हालत यह है कि वह क़रीब क़रीब चूसा जा चुका है और मरणासन्न है । क्या हम इसके लिए कर सकते हैं और क्या हमने इसके लिए इस पंच वर्षीय योजना में किया यह हम ज़रा सोचें । जब हम योजना की तरफ देखते हैं तो मालूम होता है कि रुपया इकट्ठा किया जाता है और उस रुपये को फिर जनता की तरफ़ फैंका जाता है लेकिन जो उसका सार है शायद वह चन्द आदमियों के ही हाथ में रह जाता है । वह सार जनता तक नहीं पहुंचता है । जिन हाथों के ज़रिये यह चीज़ जनता तक फैंकी जाती है वह उन्हीं हाथों में रह जाती है । इसमें जो आपका कर्मचारी वर्ग है वह

सबसे बड़ा दोष का भागी है । जो आज जनता की तकलीफ है । उसको हमारी सरकारी के आदमी खुद देख सकते हैं क्योंकि वह भी तो हमीं में से आते हैं। वह देख सकते हैं कि जनता को कितनी तकलीफ़ है और वह तकलीफ़ आपके कर्मचारियों के तरीकों से और भी ज्यादा हो जाती है । बहरहाल में इस सब को छोड़े देता हूं। मैं सर्फ़ यह कहना चाहता हूं कि आप इस पर गौर कीजिये ।

मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं। आप रुपया चाहते हैं। आपको रुपया मिलेगा। रुपया देश में है। लेकिन जो रुपये के असली सोर्सेज़ हैं उनको आप टैक्स करना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बता दूं। मैंने इस पर थोड़ा विचार किया है। अभी आप जो रुपया ले रहे हैं वह गरीबों से ले रहे हैं। ग्रामीण जनता आपको कितना फ़्री लेबर दे रही है और इससे आप कितना रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। हमने श्रमदान के ज़रिये कितना देश को दिया है ? लेकिन आप राजाओं महाराजाओं से क्यों नहीं कहते कि वह आपको अपनी अनअर्न्ड इनकम दें । मेरा यह मतलब नहीं कि आप उसको एक्स-प्राप्रियेट कर लें (छीन लें) लेकिन उसको लोन के तौर पर लें। आप बड़ी आमदनियों को पांच साल के लिए फ़्रीज़ कर दें इस लिये कि यह चीज़ देश में काम आवेगी। आप उन लोगों को लांग टर्म बांड इसके बदले में दे दें। आप प्रिंसली स्टेट्स से यह समझौता कर लीजिये कि उनका जितना सोना और चांदी और जवाहरात बेकार बन्द पड़े हैं उनको सरकारी खज़ाने में काम किया जाय और उसके बदले में उनको नेशनल बांड दिये जायं इस तरह से ८०० या ९०० करोड रुपया जो आप चाहते हैं वह आपको मिल सकता है। मेरे पास इसके डिटेल्स हैं मगर में उनमें इस वक्त नहीं जाना चाहता।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण समाप्त करें। आप पहले ही बीस मिनट ले चुके हैं।

श्री एन० एस० जैन : श्रीमान मुझे खेद ह.....

सभापति महोदय : आपने केवल १५ मिनट मांगे थे। अब आप समाप्त करें।

श्री एन० एस० जैन : मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके देखिये कि क्या इस तरह से रुपया वसूल हो सकता है या नहीं । जिनके पास श्रम है उनसे आप श्रम लीजिये और जिनके पास रुपया है उनसे रुपया लीजिये । श्रम वालों को दुःख होता है जब आप उनसे तो श्रम लेते हैं पर जो धनी हैं उन से धन नहीं लेते। वह लोग कहते हैं कि आप ने तो कांस्क्रप्शन कर दिया है और आप लेबर तो लेते हैं परन्तु धनियों से धन नहीं लेते हैं। इसमें उन लोगों को तो श्रम करना पड़ता है पर धनी लोग बैठे रहते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि आप श्रम वालों से श्रम लीजिय और धन वालों से धन लीजिये। इस से आपको न सिर्फ इस प्लान के लिये रुपया मिल जायेगा बल्कि दूसरे प्लान के लिए भी मदद मिल जायगी।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम) : सभापति महोदय, वित्त विधेयक पर बोलने से पहले मैं उत्तर प्रदेश के अपने मित्र को निश्चय ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने भाषण के प्रारम्भ में उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसे विरोधी दल म हमारे जैसे व्यक्ति समझ सकते

[श्री कृष्णस्वामी]

हैं। अस्तु भाषा के वादविवाद में न पड़ते हुए मैं वित्त विधेयक की ओर आता हूं।

वित्त विधेयक पर विचार करते समय हमें इसके मूलभूत उद्देश्यों को अपने सामने रखना पड़ता है। साथ ही इन उद्देश्यों को पूरा करने के तरीकों पर भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसी अवस्था में विरोधी दल का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अपने संदेहों तथा आपत्तियों और शिकायतों को सरकार के सामने रखे।

कुछ दिन हुए, हमें वित्त मंत्रालय की ओर से एक विवरण दिया गया था जिसमें पंच-वर्षीय योजना की प्रगति का वर्णन किया गया है। पहले वर्ष में हमारे आयव्ययक तथा आयात व्यापार दोनों में अतिरेक था। दूसरे वर्ष में हमारा आयव्ययक घाटे वाला रहा तथा आयात में नाम मात्र का अतिरेक था। तीसरे वर्ष में आयव्ययक में घाटा था तथा आयात में बिल्कुल अतिरेक नहीं था। जिन व्यक्तियों ने योजना पर विचार किया है, उन्हें इस स्थिति से क्षोभ हुआ है। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नोट जारी करके धन की व्यवस्था करना विशेष रूप से एक चिन्ताजनक विषय है।

माननीय वित्त मंत्री ने कई बार कहा है कि हमारे जैसे अविकसित देश के लिये नोट जारी करके धन व्यवस्था करने से कोई खतरा नहीं हो सकता है। परन्तु अभी तक नोटों की तुलना में मुद्रा का उतना विस्तार नहीं किया गया है। इसके दो कारण बताये गये हैं; एक तो यह कि इस घाटे में से ९० करोड रुपये की राशि को रक्षित प्रतिभूतियों को बेच कर पूरा किया गया है। दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि कीमती धातुओं को रखने की बहुत मनोवृत्ति है। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह वस्तुस्थिति बहुत अधिक समय तक नहीं चलेगी। संकट की अवस्था पहले ही आ पहुंची है। कुछ ही महीनों में वस्तुओं के दाम बहुत चढ़ने वाले हैं तथा मैं चाहता हूं कि वह इन पर नियन्त्रण करने के कुछ उपायों को सोच रखें।

हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री ने बचत आन्दोलन को तीव्र करने की अपील की है। इस अपील का आधार वित्तीय लाभ तथा देश भक्ति है। परन्तु होता यह है कि दामों के चढ़ने से देशभक्त नागरिक तथा बुद्धिमान नागरिक के दृष्टिकोण में अन्तर आ जाता है। ऐसी अवस्था में यदि राष्ट्रीय ऋण तथा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों में उल्लेखनीय कमी हो जाये तो किसी को इससे आश्चर्य नहीं होना चाहिये।

कुछ क्षेत्रों में ऐसी धारणा पाई जाती है कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था को तत्काल कोई खतरा नहीं है। यह सत्य है कि मुद्रा-स्फीति के दिनों में जनता के सभी वर्गों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पडता है। मुद्रा-स्फीति के दिनों में उद्योगपति सरकार को कई अभ्यावेदन भेजते हैं कि पूंजीगत उपकरणों को पूर्ववत् करने के लिए नफ़े के काफ़ी भाग को पृथकरक्षित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस कथन में कुछ सत्य होते हुए भी मेरा यह कहना है कि उद्योग तथा वाणिज्य के प्रतिनिधियों ने इस पर आवश्यकता से कुछ अधिक ज़ोर दिया है। ब्रिटेन में ऐसा देखने में आया है। परन्तु हमारे देश में पूंजीगत उपकरणों की दशा इस कारण नहीं सुधारी जा सकी है कि बहुत से उद्योगों में नकद धन को नष्ट कर दिया गया है

मेरा सुझाव यह है कि सरकार इन्हें सहायक ब्याज दर पर अर्थ सहायता दे जिससे कि वे अपने पूंजीगत उपकरणों की दशा ठीक कर सकें। यह सहायता इस निश्चित शर्त पर दी जाय कि इसे केवल पूंजीगत उपकरणों के बढ़ाने पर व्यय किया जायेगा।

कुछ दिन हुए, 'टाइम्स आफ़ इन्डिया' में एक लेख छपा था जिससे काफ़ी चिन्ता हुई है। उसमें लिखा था कि "उपभोक्ता वस्तुओं के दाम चढ़ गये हैं। आयात का सीमित किया जाना तथा प्रदाय की कमी इसके मुख्य कारण हैं।" लेखक के तथ्यों तथा आंकड़ों को देखने के बाद मुझे उसके कथन में काफ़ी सत्यता जान पड़ती है। आयात सम्बन्धी विभिन्न नियन्त्रणों के कारण वस्तुओं के परचून दाम सर्वत्र चढ़ गये हैं। कभी कभी ऐसे नियन्त्रण उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगाये जाते हैं। परन्तु आज हो यह रहा है कि वे सब वस्तुएं जिन पर आयात नियन्त्रण लगे हैं, मध्यम वर्ग के उपयोग की हैं। इस विचार से नोट छापकर २५० करोड़ रुपये की व्यवस्था करना एक गम्भीर मामला हो जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न की पुनः छानबीन करे। मैं चाहता हूं कि इस बात पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला जाय कि पिछले वर्ष में भुगतान-अन्तर के अनुकूल होने पर भी मध्यम-श्रेणियों के उपयोग खपत की वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में नियन्त्रण लगाने की क्या आवश्यकता थी ?

मेरी यह भी प्रबल इच्छा है कि आयात सम्बन्धी नियन्त्रणों पर पुनः विचार करते समय प्रशुल्क आयोग तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई गई प्रस्थापनाओं और योजनाओं को एकसूत्रित करने की चेष्टा भी की जाय।

श्रीमान आपको विदित है कि इस सदन के अधिकांश सदस्य कुटीर उद्योगों तथा छोटे उद्योगों के संरक्षण का समर्थन करते आये हैं। हो सकता है कि कभी कभी जिन उपायों का हम सुझाव देते हैं, वे समस्या को और भी बिगाड़ दें। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहे और कोई कार्यवाही न करे। अतएव मेरा सुझाव है कि सरकार इस समस्या को अधिक गम्भीरता से सुलझाने का प्रयास करे।

छोटे उद्योगों के विकास में कौनसी अड़चन है ? एक अड़चन तो मूल्यों सम्बन्धी है तथा दूसरी अड़चन है उपभोक्ता की पसन्द। एक सबसे बड़ी अड़चन है हमारा वस्तुओं के वितरण का ढंग। अब समय आ गया है कि हम लेटिन अमेरिका कि एक बड़ी क्रेता कम्पनी रिपरर्स रोयवक कम्पनी की रिपोर्ट से कुछ शिक्षा लें। मैं उस के सार को संक्षेप से कहे देता हूं ताकि हम अपनी वितरण व्यापार सम्बन्धी नीति को निश्चित कर सकें। इस रिपोर्ट में लिखा है कि "अमेरिका ने अपनी अर्थ-व्यवस्था के वितरण विभाग को इस सीमा तक विकसित किया है जैसा कि योरप तथा एशिया में कभी सुना नहीं गया था। दिल्ली के अधिकारियों को यह विदित होना चाहिये कि यदि उपभोक्ता वस्तुओं को न खरीदें तो उद्योग लोगों को काम नहीं दे सकते हैं। अतः आर्थिक योजना के निर्माण में फुटकर बिक्री के तरीकों को बहुत महत्व दिया जाना

[श्री कृष्णस्वामी]

चाहिये । विक्रय के आकर्षक तरीकों, उचित मूल्यों तथा वस्तुओं के अच्छे होने के सम्बन्ध में जनता का विश्वास प्राप्त किये बिना आर्थिक योजना-निर्माण सम्बन्धी कोई कार्य भी सफल नहीं हो सकता है ।"

मैं आशा करता हूं कि इन विचारों को सामने रखते हुए सरकार हथकरघे के बुनकरों की समस्या पर फिर से ध्यान दगी । वितरण व्यापार में काफी सुधार की आवश्यकता है । यदि हथ-करघे का बुनकर अपनी वस्तुओं के विक्रय-मल्य में थोड़ी सी कमी कर दे तो उसकी वस्तुएं बहुत बड़ी मात्रा में बिक सकती हैं ।

माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में कहा है कि हम अपने निर्यात-व्यापार का अच्छी तरह से विकास नहीं कर सके हैं । युद्ध के बाद पश्चिमी जर्मनी तथा जापान में वस्तुओं के दाम इतने स्थिर नहीं रहे जितने कि हमारे देश में हैं । इस से वे देश दूसरे देशों को वस्तुएं कम दामों पर बेचने में समर्थ हैं । कारण यह है कि हम प्रबन्ध में अक्षम सिद्ध हुए हैं । माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री कृपया इस ओर ध्यान दें । वित्त मंत्री महोदय ने प्रादेशिक दावों को नापसन्द किया है, परन्तु वह यह कैसे पसन्द करेंगे कि मुद्रा-स्फीति के कारण वस्तुओं के अधिक दामों का लाभ केवल कुछ ही प्रदेशों को पहुंचे ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, मैं अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता । मेरा अभिप्राय यह था कि वित्त आयोग तथा विशेष समितियां अपने निर्णय दे चुकी हैं । अतएव प्रत्येक सम्भव अवसर पर आन्दोलन करने से क्या लाभ है ?

डा० कृष्णस्वामी : मेरी भूल का सुधार हुआ । मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने अभी अन्तिम फैसला नहीं किया है । मेरे कहने का सारांश यह है कि अधिक दामों का लाभ अधिक से अधिक क्षेत्र को पहुंचे, वरन बहुत असंतोष फैलेगा तथा पंच वर्षीय योजना की सफलता की सम्भावना बहुत कम हो जायगी ।

श्री के० पी० गौंडर (इरोड) : वित्त विधेयक पर बोलते समय मैं कहना चाहता हूं कि दक्षिण भारत के राज्यों का उचित ख्याल रखा जाना चाहिये । वहां सिंचाई तथा जल विद्युत योजनाएं अवश्य ही आरम्भ की गई थीं जिससे कि खाद्य की समस्या हल हो सके । अब हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना की बात सोच रहे हैं—मेरा निवेदन है की दक्षिण में भी नयी योजनाएं आरम्भ की जानी चाहिए । मानसून के पानी से बड़ी जलविद्युत योजनाएं बनाई जा सकती हैं जिससे कि त्रावणकोर कोचीन को बिजली प्राप्त हो सकती है । सरकार का ध्यान इस योजना की ओर आकर्षित किया गया है । कृपया इसकी जांच की जाय । ऐसी योजनाओं के बनाने में कठिनाई अवश्य होती है जहां योजना का सम्बन्ध एक से अधिक राज्यों से हो परन्तु इस कठिनाई को दूर करने के लिये विधान बनाना चाहिये या पंचाट दिया जाना चाहिये ।

दक्षिण में कोयले और बिजली की कमी के कारण बड़े उद्योग भी नहीं

है । अर्काट जिले में लिगनाईट पाया गया है । हमें आशा है कि वहां औद्योगिक योजनाएं आरम्भ की जाएंगी ।

खेती में लगभग ८०० करोड रुपये की लागत लगती है । किसान ऋणी हैं और वे इतना रुपया प्राप्त नहीं कर सकते । वे खेती की नई पद्धतियों को नहीं अपना सकते । किसानों की वास्तविक आवश्यकता पैसे की है उसके प्राप्त होते ही वे कृषि की आधुनिक पद्धति अपना सकेंगे । राज्य सरकार उनकी पर्याप्त मदद नहीं कर सकती । केन्द्र को उनकी सहायता करनी चाहिये । तकाबी और अन्य ऋण उदारता से दिये जाने चाहियें

कहा जाता है कि अब हम खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो गये हैं । वास्तव में हमारा उपभोग कम है । उपभोग उचित कर दिया जाए तो उत्पादन बहुत बढ़ाना पड़ेगा । अतएव किसानों को अधिक अन्न उत्पन्न करने में सब प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए । किसानों की मुख्य समस्या वित्त समस्या है ।

मद्रास में हथकरघा उद्योग है । हम सरकार का आभार मानते हैं कि मिल के कपड़े पर उपकर लगा कर इस उद्योग की सहायता की गई है ।

हमें हर्ष है कि सरकार २५० करोड़ रुपये के नोट छपवा कर परिचालन में लायेगी । इससे मुद्रा स्फीति का भय नहीं होना चाहिये क्योंकि मूल्यों के गिरने की प्रवृति दिखाई देती है ।

सलेम और कोयम्बटूर में लोहा तथा मैंगनीज पाया जाता है । आशा है कि दक्षिण में उद्योग स्थापित करने का प्रयत्न किया जाएगा ।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा) : मैं विभिन्न मंत्रालयों की क्रम से चर्चा करूंगा

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम देश को पीछे नहीं ले जा सकते । मेरा कहना यह है कि हम इतने गरीब हैं कि अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति से हम कुछ लोगों को ही लाभ पहुंचा सकते हैं अतएव कुछ राशि हमें उन लोगों के लिए रक्षित कर लेनी चाहिए जो अभी चिकित्सा पा ही नहीं सकते । उनके लिए सस्ती देशी चिकित्सा का प्रबन्ध किया जा सकता है ।

जनसंख्या की समस्या देश की बड़ी समस्या है । इसके लिए परिवार आयोजन की समितियां आदि बनी हैं और चर्चा भी बहुत हुई है परन्तु वास्तव में कुछ नहीं किया गया । परिवार आयोजन में गांधी पद्धति काम न देगी । यहां पर भी वैज्ञानिक तरीकों को प्रयोग में लाना चाहिए ।

स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय में पदाधिकारी तो बहुत हैं परन्तु उनके पास साधन अत्यल्प हैं । अगर मैं इन मंत्रियों के स्थान में होता तो पदत्याग कर देता ।

हिन्दी और हिन्दुस्तानी को लेकर श्री टंडन जी और मौलाना आज़ाद में वाद-विवाद हुआ था । टंडन जी ने हिन्दी की वकालत जरूरत से ज्यादा की । शिक्षा मंत्री ने भविष्य का जो कार्यक्रम बताया वह आशाजनक है । उन्हें मान लेना चाहिए था कि अब तक हिन्दी की उपेक्षा होती ही है ।

भ्रष्टाचार कई प्रकार का रूप ले सकता है । शिक्षा मंत्रालय के पदाधिकारियों के

[श्री खर्डेकर]

नाम पढ़ने से मालूम होता है कि वह पाकिस्तान का मंत्रालय है । हमें उन लोगों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए जिनका बहुमत हो।

विभिन्न मंत्रालयों के बारे में मेरा कहना यह है कि वहां कानून बहुत तैयार होते हैं। हमें चार पांच घंटे में पांच विधेयक पारित करने हैं। यदि कानून थोड़े और उचित होंगे तब ही उनका आदर किया जाएगा।

गृहमंत्रालय के विषय में मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। निवारक निरोध अधिनियम और प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम को वह मंत्रालय सामान्य और कल्याणकारी विधान समझता है। कम से कम मैं इसे नहीं समझ सका। इस मंत्रालय में भ्रष्टाचार है तथा प्रशासन का स्तर भी गिर गया है।

कभी कभी नेता गण अधिकारियों के काम में अनुचित हस्तक्षेप करते हैं। अधिकारी यदि साहसी और चरित्र वाले होते हैं तो वे निकाल दिये जाते हैं। ऐसे मामलों की पूरी जांच की जानी चाहिए। जब मंत्रीगण, नेतागण आदि अपने लोगों का भला करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार आरम्भ हो जाता है और पदाधिकारी उन्हें 'ना' नहीं कह सकते । पदाधिकारियों को भला बुरा कहने से पूर्व हमें देखना चाहिए कि हम में से कितने लोग चरित्रवान हैं।

श्री जेठालाल जोशी (मध्य सौराष्ट्र): गत वर्ष में सरकार ने जो प्रगति की है उससे हम सन्तुष्ट हैं तथा मैं वित्त मंत्री के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

कन्ट्रोल हटाना बहुत लाभप्रद हुआ है। लोगों को इससे बड़ा संतोष हो गया है आर्थिक क्षेत्र में भी स्थायित्व आ गया है। हथकरघा और ग्रामोद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया गया है। यह अच्छा हुआ है। कुछ उद्योगों के विषय में स्थिति अच्छी नहीं है। वास्तविक उत्पादन, उत्पादन क्षमता की अपेक्षा बहुत कम है । इंजीनियरी उद्योग में बहुत सी उत्पादन सामर्थ्य बेकार पड़ी है। खेती के औज़ार बनाने के उद्योग में उत्पादन सामर्थ्य का केवल ३५·५ प्रतिशत भाग उपयोग में आता है। डुप्लीकेटर्स उद्योग में ८० प्रतिशत उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी है। आग बुझाने के उपकरण बनाने के उद्योग में ७० प्रतिशत उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी है। उसी तरह ग्रामोफोन निर्माण उद्योग में ९३% उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी है। मशीन टूल उद्योग की भी वही दशा है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् सभा बुधवार, २१ अप्रैल, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई